
लेखे एक नज़र में
2014-15

विषय सूची

भूमिका	3
विहंगावलोकन	4
बजट की तुलना में वास्तविक राशि का विश्लेषण	9
वित्तीय विवरण	13
प्राप्तियां	16
व्यय	20
ऋण और अन्य देयताएं	24
विनियोग लेखे	29
शब्दावली	33
परिशिष्ट	39
1. दस वर्षीय सारांश	41
2. करेतर राजस्वों का विवरण	43
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	44
4. मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय	45
5. योजनेतर व्यय का विवरण	46
6. वेतन और भत्तों पर व्यय	48
7. आर्थिक सहायताओं का विवरण	54
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय	57
9. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा	80
10. ₹100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	81

*इस दस्तावेज में दर्शाए गए प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़े ('वित्तीय विवरण' और 'ऋण और अन्य देयताएं' अध्यायों में दिए गए आंकड़ों को छोड़कर) बजट दस्तावेजों के अनुसार निवलित किए गए हैं।

लेखे एक नज़र में

लेखे एक नज़र में

2014-15

भूमिका

‘लेखे एक नज़र में’ संघ सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के अनुमान और वास्तविक राशियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं, बचतों और आरक्षित राशियों, निवेशों, विनिवेशों ऋण और घाटे जैसी वित्तीय सूचना वृहत विहंगावलोकन पाठक सुलभ रूप में उपलब्ध कराता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा लेखापरीक्षित ब्योरेवार वित्तीय सूचना वित्त लेखे और विनियोग लेखे में उपलब्ध कराई जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां, कार्य का आवंटन नियमावली, 1961 के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का दायित्व हैं। महालेखा नियंत्रक को संघ सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) तैयार करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

वित्त लेखों में सिविल मंत्रालयों और गैर-सिविल मंत्रालयों अर्थात् रक्षा, डाक और रेलवे के लेन देनों को शामिल करके संघ सरकार के समग्र लेखे तैयार किए जाते हैं। ये लेनदेन महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा संकलित किए जाते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि, लोक लेखों, लोक ऋण लेखों, अन्य देयताओं और लेखों में यथा अभिलिखित परिसम्पत्तियों से होने वाली प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों सहित संघ सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल होते हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) जिसमें मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन (6 विनियोग और 95 अनुदान) शामिल होते हैं, संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा संकलित और समेकित किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार व्यय किए जाने से पूर्व संसद द्वारा विनियोग पारित किए जाने होते हैं, अतः विभिन्न मांगों के अंतर्गत संसद द्वारा यथा अनुमोदित विनियोगों का संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन दर्शाने के लिए विनियोग लेखे तैयार किए जाते हैं। अनुदानों की मूल मांगों और अंतिम विनियोग तथा वास्तविक व्यय के बीच काफी अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) होने पर स्पष्टीकरण दिया जाता है। रक्षा (रक्षा मंत्रालय और रक्षा पेंशन को छोड़कर), रेलवे, डाक के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

विहंगावलोकन

प्राप्ति, व्यय और घाटा


वर्ष 2014-2015 के दौरान, कुल प्राप्तियां ₹16,63,673 करोड़ थीं। सकल कर प्राप्तियां ₹12,41,424 करोड़ थीं जिनमें से ₹3,37,809 करोड़ (सकल का 27.21%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके करों के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹9,03,615 करोड़ था। कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां ₹11,52,856 करोड़ थीं जिनमें राजकोषीय घाटे के रूप में ₹5,10,817 करोड़ का अंतर था जिसे उधार के माध्यम से पूरा किया गया था।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹16,63,673 करोड़ था। जिसमें से, राजस्व व्यय ₹14,66,992 करोड़ (88%) और पूंजीगत व्यय ₹1,96,681 करोड़ (12%) था। कुल व्यय में योजना व्यय और योजनेतर व्यय का भाग क्रमशः 28% (₹4,62,643 करोड़) और 72% (₹12,01,030 करोड़) था।

वित्तीय विशेषताएं 2014-2015 (₹ करोड़)					
	विवरण	संशोधित	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
		अनुमान 2014-2015	2014-2015	2013-2014	
1.	राजस्व प्राप्तियां	11,26,294	11,01,381	10,14,719	9%
2.	कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	9,08,463	9,03,615	8,15,854	11%
3.	करेतर राजस्व	2,17,831	1,97,766	1,98,865	-1%
4.	पूंजीगत प्राप्तियां	42,236	51,475	41,865	23%
5.	कर्जों की वसूलियां	10,886	13,738	12,497	10%
6.	अन्य प्राप्तियां	31,350	37,737	29,368	28%
7.	कुल प्राप्तियां (1+4)	11,68,530	11,52,856	10,56,584	9%
8.	योजनेतर व्यय	12,13,224	12,01,030	11,06,120	9%
9.	राजस्व लेखे पर	11,21,897	11,09,395	10,19,040	9%
10.	ब्याज अदायगियां	4,11,354	4,02,444	3,74,254	8%
11.	पूंजीगत लेखे पर	91,327	91,635	87,080	5%
12.	योजना व्यय	4,67,934	4,62,643	4,53,327	2%
13.	राजस्व लेखे पर	3,66,883	3,57,597	3,52,732	1%
14.	पूंजीगत लेखे पर	1,01,051	1,05,046	1,00,595	4%
15.	कुल व्यय (8+12)	16,81,158	16,63,673	15,59,447	7%
16.	राजस्व व्यय (9+13)	14,88,780	14,66,992	13,71,772	7%
17.	जिसका, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	1,31,898	1,30,760	1,29,839	1%
18.	पूंजीगत व्यय (11+14)	1,92,378	1,96,681	1,87,675	5%
19.	राजस्व घाटा (16-1)	3,62,486	3,65,611	3,57,053	2%
20.	प्रभावी राजस्व घाटा(19-17)	2,30,588	2,34,851	2,27,214	3%
21.	राजकोषीय घाटा [15-7]	5,12,628	5,10,817	5,02,863	2%
22.	प्राथमिक घाटा (21-10)	1,01,274	1,08,373	1,28,609	-16%


पिछले दशक के दौरान, सरकार की सकल कर प्राप्तियां ₹3,64,649 करोड़ [2005-06] से कई गुना बढ़कर ₹12,41,424 करोड़ [2014-15] हो गई हैं। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, वर्ष 2014-15 के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद* का 9.81% था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व में दशक के दौरान गिरावट आई है और वह वर्ष 2005-06 में 10.2% से गिरकर वर्ष 2014-15 में 9.8% हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि जब वास्तविक संग्रहण में वृद्धि हुई तो सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी हुई। पिछले दशक में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल कर राजस्व का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 10% और करेतर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% रहा। करेतर राजस्व भी जोकि वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% था वह वर्ष 2014-15 में कम होकर 1.56% हो गया है।

भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां



राजस्व व्यय में पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में, यद्यपि, यह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 12.08% की अपेक्षा सकल घरेलू उत्पाद का 11.59% था। पूंजीगत व्यय वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.55% था। 2005-15 दशक के दौरान, यह देखा गया है कि राजस्व व्यय का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 12% और पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.8% रहा।


भारत सरकार का व्यय



* बजट एक नज़र में 2015-16 में दर्शाए अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए सकल घरेलू उत्पाद ₹126.54 करोड़ है।

वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्र सरकार की निवल प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 69% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और इस प्रकार इसमें ₹5,10,817 करोड़ का घाटा रहा। वर्ष का राजस्व घाटा ₹3,65,611 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.04% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.89% था।

भारत सरकार का घाटा



घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹5,10,817 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से ₹4,92,433 करोड़ के आंतरिक ऋण और ₹12,933 करोड़ के बाह्य ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाया गया संसाधन घाटे से कम होने के कारण रोकड़ शेष में ₹77,844 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2014-15 के अंत में रोकड़ शेष ₹9,774 करोड़ था।


घाटे का वित्तपोषण (₹ करोड़)				
विवरण	2014-15		2013-14	
आंतरिक ऋण	4,92,433	96%	4,76,016	95%
बाजार कर्ज	4,45,138	87%	4,57,551	91%
खजाना बिल	9,179	2%	7,729	2%
प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	(-) 193	0%	(-) 209	0%
अन्य	38,309	7%	10,945	2%
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण	12,933	3%	7,292	1%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	77,844	15%	(-) 19,166	(-)4%
लोक लेखा	-72,393	-14%	38,721	8%
कुल वित्तपोषण	5,10,817	100%	5,02,863	100%

ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹42,18,197 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और पुराने ऋण के ₹37,07,700 करोड़ चुकाए। निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹5,10,497 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण ₹49,35,805 करोड़ था। वर्ष 2014-15 के अंत में ब्याज वाला कुल दायित्व ₹55,26,725 करोड़ था और कुल देयताएं ₹56,06,815 करोड़ थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन (₹ करोड़)					
विवरण	01-अप्रैल,14	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च,15	वृद्धि/कमी
ऋण*	44,25,308	42,18,197	37,07,700	49,35,805	5,10,497
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	4,88,000	4,99,555	5,05,402	4,82,153	-5,847
ब्याज वाली अन्य देयताएं	95,479	60,386	47,098	1,08,767	13,288
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	60,582	2,17,839	1,98,331	80,090	19,508
कुल ऋण और अन्य देयताएं	50,69,369	49,95,977	44,58,531	56,06,815	5,37,446

पिछले दस वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2005-06 में ₹15,83,957 करोड़ था वह वर्ष 2014-15 में तीन गुना होकर ₹51,04,675 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद का 44.40% था वह वर्ष 2014-15 के अंत में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 40.34% हो गया। वर्ष 2014-15 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 37.45% और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 2.90% था।



प्राप्तियों और व्ययों, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

*बाह्य ऋण (₹ 1,97,514 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹3,66,384 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹51,04,675 करोड़ होती।

**31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केंद्र सरकार की कुल देयता ₹11,52,363 करोड़ है। इसमें से, ₹90,707 करोड़ संचय घाटा है, ₹54,34,99 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में, आईआईएफसीएल में ₹1,500 करोड़ का निवेश किया गया और निजी निधि प्रबंधकों के पोलिफ निवेश से संबंधित ₹34,504 करोड़ है और इस प्रकार इस लेखे की ₹4,82,153 करोड़ की निवल बकाया देयता रह गई है।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2014-15 के दौरान, सरकार ने 11,52,856 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण का निवल) का राजस्व प्राप्त किया और ₹42,13,066 करोड़ का ऋण लिया। भारत की समेकित निधि में प्राप्त की गई कुल निधियां, इस प्रकार, ₹53,65,922 करोड़ थीं। इसमें से, ₹37,07,700 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्अदायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹16,63,673 करोड़ सरकार के चालू कार्यक्रमों पर व्यय किए गए। इस प्रकार, भारत की समेकित निधि से कुल ₹53,71,373 करोड़ का व्यय हुआ। प्राप्तियों की तुलना में ₹5,451 करोड़ का अधिक व्यय और लोक लेखे से ₹72,393 करोड़ की निवल अदायगी के परिणाम स्वरूप रोकड़ शेष में ₹77,844 करोड़ की कमी हुई।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग (₹ करोड़)					
स्रोत			अनुप्रयोग		
	2014-15	2013-14		2014-15	2013-14
राजस्व	11,52,856	10,56,584	व्यय	16,63,673	15,59,447
कर	9,03,615	8,15,854	योजना	4,62,643	4,53,327
करेतर	1,97,766	1,98,865	योजनेतर	12,01,030	11,06,120
ऋणोत्तर पूंजी	51,475	41,865	व्याज अदायगी	4,02,444	3,74,254
अन्य स्रोत	42,18,517	40,14,155	अन्य अनुप्रयोग	37,07,700	35,11,291
नया ऋण	42,13,066	39,94,599	ऋण की पुनर्अदायगी	37,07,700	35,11,291
आंतरिक*	41,79,532	39,69,183	आंतरिक	36,87,099	34,93,167
बाह्य	33,534	25,416	बाह्य	20,601	18,124
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	77,844	(-)19,166			
लोक लेखा	-72,393	38,721			
जोड़	53,71,373	5,070,738	जोड़	53,71,373	5,070,738

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान कर प्राप्तियों में 11% की वृद्धि हुई। तथापि, करेतर प्राप्तियों में 1% की मामूली कमी हुई जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की प्राप्तियों में 9% की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी कुल व्यय में 7% की वृद्धि हुई साथ ही राजस्व व्यय में 7% की और पूंजीगत व्यय में 5% की वृद्धि हुई। योजना व्यय में केवल 2% की वृद्धि हुई जबकि योजनेतर व्यय में 9% की वृद्धि हुई।

* अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई/अफ्रीकी विकास निधि को जारी की गई प्रतिभूतियों का निवल (वर्ष 2014-15 के दौरान कुल ₹5,131 करोड़)

बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण प्राप्तियां

वर्ष 2014-15 के दौरान केंद्रीय सरकार का निवल कर राजस्व ₹9,03,615 करोड़ था जो कि संशोधित अनुमानों का 99.47% था और करेतर राजस्व (₹1,97,766) संशोधित अनुमानों का 90.79% था। कुल राजस्व प्राप्तियां (₹11,01,381 करोड़) संशोधित अनुमानों का 97.79% थीं।

ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (₹51,475 करोड़) जिनमें मुख्य रूप से विनिवेश प्राप्तियां और कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां शामिल थी, संशोधित अनुमानों का 121.87% थी। सरकार का कुल व्यय ₹16,63,673 करोड़ था जबकि कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां ₹11,52,856 करोड़ थीं और इस प्रकार 2014-15 के दौरान ₹5,10,817 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ। घाटा 'ऋण वित्तीयन' और 'केंद्रीय सरकार की आरक्षित नकदी' से पूरा किया गया था और यह संशोधित अनुमानों का 99.65% था। वर्ष के दौरान सरकार की कुल ऋण प्राप्तियां ₹4,32,973 करोड़ थी जो संशोधित अनुमानों का 81.96% थी। सरकार की आरक्षित नकदी (-) ₹15,671 करोड़ के संशोधित अनुमानों की तुलना में ₹77,844 कम हो गई।

प्राप्तियां 2014-15 (₹ करोड़)						
	बजट अनुमान (2014-15)	संशोधित अनुमान (2014-15)	वास्तविक राशि (2014-15)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2013-14)	
1	राजस्व प्राप्तियां					
	कर राजस्व (सकल कर राजस्व)	13,64,524	12,51,391	12,44,885	99.48	11,38,734
	निगम कर	4,51,005	4,26,079	4,28,925	100.67	3,94,678
	आय पर कर	2,84,266	2,78,599	2,65,733	95.38	2,42,857
	धन कर	950	950	1,085	114.21	1,007
	सीमा कर	2,01,819	1,88,713	1,88,016	99.63	1,72,085
	संघ उत्पाद शुल्क	2,07,110	1,85,480	1,89,953	102.41	1,70,199
	सेवा कर	2,15,973	1,68,132	1,67,969	99.90	1,54,778
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3,401	3,438	3,204	93.19	3,130
	घटाएं - राष्ट्रीय विपत्ति अकिस्मिकता निधि/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	5,050	5,120	3,461	67.60	4,650
	घटाएं -राज्यों का भाग 1(क) केन्द्र का निवल	3,82,216	3,37,808	3,37,809	100.00	3,18,230
	कर राजस्व	9,77,258	9,08,463	9,03,615	99.47	8,15,854
2	करेतर राजस्व					
	ब्याज प्राप्तियां	19,751	22,166	23,712	106.97	21,868

लेखे एक नज़र में

	लाभांश और लाभ	90,229	88,781	89,833	101.18	90,435
	बाह्य अनुदान	2,405	2,811	1,600	56.92	3,618
	अन्य करेतर राजस्व	99,009	1,02,830	81,259	79.02	81,470
	संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्ति	1,111	1,243	1,362	109.57	1,474
	कुल करेतर राजस्व	2,12,505	2,17,831	1,97,766	90.79	1,98,865
	कुल राजस्व प्राप्ति (1(क) + 2)	11,89,763	11,26,294	11,01,381	97.79	10,14,719
3	पूँजीगत प्राप्ति					
क	ऋणेतर प्राप्ति					
	कर्जों और अग्रिमों की वसूलियाँ @	10,527	10,886	13,738	126.20	12,497
	विविध पूँजीगत प्राप्ति	63,425	31,350	37,737	120.37	29,368
	कुल	73,952	42,236	51,475	121.87	41,865
ख	ऋण प्राप्ति *					
	बाजार कर्ज	4,61,205	4,46,922	4,45,138	99.60	4,53,551
	अल्पावधि उधार	34,553	51,169	9,179	17.94	7,729
	बाह्य सहायता (निवल)	5,734	9,705	12,933	133.26	7,292
	अल्प बचतों पर जारी प्रतिभूतियाँ	8,229	33,276	32,226	96.84	12,357
	राज्य भविष्य निधि (निवल)	12,000	10,000	11,920	119.20	9,752
	अन्य प्राप्ति (निवल)	-7,704	-22,773	-78,423	344.37	31,348
	कुल	5,14,017	5,28,299	4,32,973	81.96	5,22,029
	कुल पूँजीगत प्राप्ति (क+ख)	5,87,969	5,70,535	4,84,448	84.91	5,63,894
4	रोकड़ शेष की आहरण द्वारा कमी	17,160	-15,671	77,844		-19,166
	कुल प्राप्ति (1क+2+3+4)	17,94,892	16,81,158	16,63,673	98.96	15,59,447
	वित्तीय घाटे का वित्तपोषण (3ख+4)	5,31,177	5,12,628	5,10,817	99.65	5,02,863
	एमएसएस के अंतर्गत प्राप्ति (निवल)	20,000	0	0	0	0

व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹16,63,673 करोड़ था जो संशोधित अनुमानों का 98.96% था। योजनेतर व्यय संशोधित अनुमानों का 98.99%, योजनेतर राजस्व व्यय संशोधित अनुमानों का 98.89% और योजनेतर पूँजीगत व्यय 100.34% था। योजनेतर राजस्व व्यय का पेंशन पर व्यय संशोधित अनुमानों का 114.57% था। योजनेतर पूँजागत व्यय का लोक उद्यमों को कर्ज 155.80%

योजना व्यय का जहां तक संबंध है, आर्थिक सेवाओं पर हुए व्यय को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों पर हुआ व्यय संशोधित अनुमानों से अधिक हो गया। कुल योजना व्यय संशोधित अनुमानों का 98.87% था।

* ये प्राप्ति पुनर्दायगियों का निवल हैं।

@ इसमें राज्यों से अल्पावधि कर्ज और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि से ₹12,808 करोड़ की वसूलियाँ शामिल नहीं हैं।

		बजट अनुमान (2013-14)	संशोधित अनुमान (2013-14)	वास्तविक राशि (2014-15)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2013-14)
1	योजनेतर व्यय					
क	राजस्व व्यय					
1	ब्याज अदायगियां और समयपूर्व अदायगी प्रीयियम	4,27,011	4,11,354	4,02,444	97.83	3,74,254
2	रक्षा सेवाएं	1,34,412	1,40,405	1,36,807	97.44	1,24,374
3	सहायिकियां	2,60,658	2,66,692	2,58,299	96.85	2,54,745
4	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	69,936	80,258	77,125	96.10	60,551
5	पेंशन	81,983	81,705	93,611	114.57	74,896
6	पुलिस	46,390	48,112	47,768	99.29	42,095
7	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से राज्यों को सहायता	5,050	5,120	3,461	67.60	4,650
8	अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	26,401	25,804	26,147	101.33	23,761
9	सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	25,324	25,601	25,939	101.32	25,687
10	आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि)	26,797	27,106	26,480	97.69	24,747
11	डाक घाटा	6,908	6,378	6,121	95.97	5,339
12	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	4,468	4,626	4,834	104.50	4,578
13	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से पूरी की गई राशि	-5,050	-5,120	-3,461	67.60	-4,650
14	विदेशी सरकारों को अनुदान	4,321	3,856	3,820	99.07	4,013
	कुल राजस्व योजनेतर व्यय	11,14,609	11,21,897	1,09,395	98.89	10,19,040
ख	पूंजीगत व्यय					
1	रक्षा सेवाएं	94,588	81,965	81,887	99.90	79,125
2	योजनेतर पूंजीगत परिव्यय	10,039	7,771	8,180	105.26	7,430
3	लोक उद्यमों को कर्ज	653	853	1,329	155.80	993
4	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को कर्ज	83	80	73	91.25	80
5	विदेशी सरकारों को कर्ज	158	0	0	-	156
6	अन्य	-172	647	73	11.28	-706
7	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों पर व्यय	-66	11	93	845.45	2
	कुल पूंजीगत यांजनेतर व्यय	1,05,283	91,327	91,635	100.34	87,080
	कुल योजनेतर व्यय	12,19,892	12,13,224	12,01,030	98.99	11,06,120

लेखे एक नज़र में

2	योजना व्यय					
क	राजस्व व्यय					
1	सामान्य सेवाएं	871	471	557	118.05	1,296
2	सामाजिक सेवाएं	33,706	26,985	28,515	105.67	1,02,219
3	आर्थिक सेवाएं	1,15,744	91,752	71,361	77.78	1,14,377
4	सहायता अनुदान और अंशदान	3,00,166	2,45,128	2,57,164	104.91	1,34,840
5	संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	3,016	2,547	^^	-	^^
	कुल राजस्व योजना व्यय	4,53,503	3,66,883	3,57,597	97.47	3,52,732
ख	पूंजीगत व्यय					
1	सामान्य सेवाएं	7,309	3,493	4,033	115.46	4,841
2	सामाजिक सेवाएं	6,193	4,233	4,375	103.38	3,458
3	आर्थिक सेवाएं	83,465	71,689	68,911	96.12	73,622
4	कर्ज और अग्रिम	22,813	20,235	27,727	137.02	18,674
5	संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	1,717	1,401	^^	-	^^
	कुल पूंजीगत योजना व्यय	1,21,497	1,01,051	1,05,046	103.95	1,00,595
	कुल योजना व्यय (क+ख)	5,75,000	4,67,934	4,62,643	98.87	4,53,327
	कुल व्यय	17,94,892	16,81,158	16,63,673	98.96	15,59,447

^^ संघ राज्य क्षेत्रों पर वास्तविक व्यय को शेष सेक्टरों के व्यय में शामिल किया गया है।

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण (₹ करोड़)			
		31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
देयताएं		56,07,315	50,68,235
क.	लोक ऋण	49,35,805	44,25,348
	1. आंतरिक ऋण	47,38,291	42,40,767
	2. बाह्य ऋण	1,97,514	1,84,581
ख.	आकस्मिकता निधि	500	500
ग.	लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिमों का निवल)	6,71,010	6,42,387
	1. आरक्षित निधियां	35,452	30,343
	2. जमा और अग्रिम	1,53,405	1,24,035
	3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	4,82,153	4,88,009
परिसम्पत्तियां		56,07,315	50,68,235
क.	रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	1,66,957	1,37,582
	1. रोकड़ शेष	9,774	87,582
	2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	1,57,183	50,000
ख.	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6,08,323	5,60,803
	1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	3,51,679	3,19,613
	2. कर्ज तथा अग्रिम	2,56,644	2,41,190
	क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1,51,221	1,49,867
	ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,05,423	91,323
	3. उचत और विविध	71,413	80,721
ग.	संचित घाटा*	47,60,622	42,89,129

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2014-15) - सकल आंकड़े

*पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण

प्रचालन विवरण		
(₹ करोड़)		
	2014-15	2013-14
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	13,28,909	12,17,794
कर राजस्व	9,07,327	8,20,766
करेतर राजस्व	4,19,982	3,93,410
सहायता अनुदान	1,600	3,618
अन्य प्राप्तियां	37,740	29,368
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	1,418	4,231
अन्य	36,322	25,137
कुल प्राप्तियां	13,66,649	12,47,162
व्यय		
राजस्व लेखा	16,95,137	15,75,097
सामान्य सेवाएं	7,52,908	6,79,852
सामाजिक सेवाएं	59,437	1,33,981
आर्थिक सेवाएं	5,44,682	5,61,860
सहायता अनुदान	3,38,109	1,99,404
पूंजीगत लेखा	1,38,504	1,30,532
सामान्य सेवाएं	90,185	88,064
सामाजिक सेवाएं	4,875	3,813
आर्थिक सेवाएं	43,444	38,655
विविध	4,534	661
कुल व्यय	18,38,175	17,06,290
पूर्व अवधि समायोजन	-33	603
घाटा*	4,71,493	4,59,731

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2014-15) - सकल आंकड़े

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रणीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।


प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण (₹ करोड़)		
	2014-15	2013-14
प्राप्तियां	64,61,898	59,59,637
भारत की समेकित निधि	56,11,392	52,66,677
कर राजस्व	9,07,327	8,20,766
करेतर राजस्व	4,19,982	3,93,410
सहायता अनुदान और अंशदान	1,600	3,618
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	37,740	29,368
लोक ऋण	42,18,196	39,94,966
कर्ज तथा अग्रिम	26,547	24,549
भारत की आकस्मिकता निधि	0	0
लोक लेखा	8,50,506	6,92,960
अल्प बचतें, भविष्य निधि	4,99,555	4,07,541
आरक्षित निधियां	1,47,041	1,27,520
जमा तथा अग्रिम	1,73,422	1,51,607
उचंत और विविध	28,484	2,744
प्रेषण	2,004	3,548
संवितरण	65,39,742	59,40,471
भारत की समेकित निधि	56,16,843	52,86,232
सामान्य सेवाएं	7,52,908	6,79,852
सामाजिक सेवाएं	59,437	1,33,981
आर्थिक सेवाएं	5,44,682	5,61,860
सहायता अनुदान और अंशदान	3,38,109	1,99,404
पूंजीगत परिव्यय	1,72,085	1,68,844
ऋण की पुनर्दायगी	37,07,700	35,11,291
कर्ज तथा अग्रिम	41,922	31,000
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	0	0
लोक लेखा	9,22,899	6,54,239
अल्प बचतें, भविष्य निधि	5,05,402	3,89,826
आरक्षित निधियां	1,41,932	1,24,057
जमा तथा अग्रिम	1,45,877	1,26,063
उचंत और विविध	1,16,526	13,110
प्रेषण	13,162	1,183
संवितरणों पर प्राप्तियां	-77,844	19,166
प्रारंभिक रोकड़ शेष	87,618	68,452
अंत रोकड़ शेष	9,774	87,618

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2014-15) - सकल आंकड़े

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, कर राजस्व कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों का लगभग 78% था। शेष राजस्व करेतर राजस्वों (17%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों (5%) से प्राप्त हुआ। निगम कर, आय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क और संघ उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत बने रहे। ऋणोत्तर सरकारी प्राप्तियों के मुख्य अंशदाता निगम कर (27%), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (14%), आयकर (16%), सीमा शुल्क (12%), सेवा कर (10%), ब्याज प्राप्तियां (2%) और लाभांश (8%) हैं।

भारत की समेकित निधि प्राप्तियां (2014-15)



वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां [राज्यों को हस्तांतरित करों का निवल] ₹11,52,856 करोड़ थीं कर राजस्व ₹8,15,854 करोड़ से 11% बढ़कर ₹9,03,615 करोड़ हो गया जबकि करेतर राजस्व ₹1,98,865 करोड़ से मामूली 1% कम होकर ₹1,97,766 करोड़ हो गया। अन्य प्राप्तियों में पिछले वर्ष की अपेक्षा 23% की भारी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की कुल प्राप्तियों में 9% की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 के

दौरानसरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण प्राप्त किए गए ₹23,477 करोड़ शामिल हैं। 'कोल इंडिया लिमिटेड' के विनिवेश से प्राप्त प्रीमियम ₹21,901 करोड़ था।

ऋणोत्तर प्राप्तियां (₹ करोड़)			
विवरण	2014-15	2013-14	वृद्धि
कर राजस्व	9,03,615	815,854	11 %
करोत्तर राजस्व	1,97,766	198,865	(-)1%
अन्य प्राप्तियां	51,475	41,865	23%
कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां	11,52,856	1,056,584	9%

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केंद्र को निवल) 2013-14 के ₹8,15,854 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹9,03,615 करोड़ हो गया। निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क और सेवा कर, सभी में पिछले वर्ष की अपेक्षा 9% की वृद्धि हुई जबकि संघ उत्पाद शुल्क में 12% की और प्रतिभूति लेनदेन कर में 47% की वृद्धि हुई।

कर राजस्व (₹ करोड़)							
विवरण	2014-15			2013-14			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
	सकल	राज्यों को हस्तांतरित*	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	
1. निगम कर	4,28,925	1,18,235	3,10,690	3,94,678	1,07,296	2,87,382	9%
2. आय कर	2,58,326	84,431	1,73,895	2,37,817	70,651	1,67,166	9%
3. ब्याज कर	6	-	6	8	-	8	-30%
4. अनुषंगी हितलाभ कर	-8	-	-8	5	-	5	-265%
5. व्यय कर	11	3	8	9	-	9	21%
6. धन कर	1,085	319	766	1,007	295	712	8%
7. प्रतिभूति लेनदेन कर	7,398	-	7,398	5,018	-	5,018	47%
8. सीमा शुल्क	1,88,016	54,759	1,33,257	1,72,085	52,054	1,20,031	9%
9. संघ उत्पाद शुल्क	1,89,038	30,920	1,58,118	1,69,455	36,764	1,32,691	12%
10. सेवा कर	1,67,969	49,142	1,18,827	1,54,778	51,170	1,03,608	9%
11. अन्य कर	915	-	915	744	-	744	23%
12. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3,204	-	3,204	3,130	-	3,130	2%
13. एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	(-)3,461	-	(-)3,461	(-)4,650	-	(-)4,650	-26%
	12,41,424	3,37,809	9,03,615	11,34,084	3,18,230	8,15,854	9%

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क/प्रभार के रूप में प्रोद्भूत होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जोकि 2013-14 में ₹1,98,865 करोड़ था वह 2014-15 के दौरान कम होकर ₹1,97,766 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹1,099 करोड़ की कमी हुई।

करेतर राजस्व (₹ करोड़)				
क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)
1.	ब्याज प्राप्तियां	23,712	21,868	8%
2.	लाभांश और लाभ	89,833	90,435	1%
3.	संघ राज्य क्षेत्रों के करेतर राजस्व	1,362	1,474	-8%
4.	अन्य करेतर राजस्व	82,859	85,088	-3%
	कुल करेतर राजस्व	1,97,766	1,98,865	-1%

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज मुख्यतः संघ सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान किए गए कर्जों से प्राप्त होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त ब्याज कुल ब्याज प्राप्तियों का 17% है। रेलवे (19%) और सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम (4%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹48,007 करोड़ थीं पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹3,980 करोड़ (9%) की वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और रेलवे से ब्याज प्रप्तियों में पिछले वर्ष से वृद्धि हुई। जबकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले ब्याज में ₹578 करोड़ की कमी आई। रेलवे से होने वाली ब्याज प्राप्तियां, जोकि 2013-14 में ₹7,982 करोड़ थी वे 2014-15 में ₹9,148 करोड़ हो गई और इस प्रकार इनमें 15% (₹1,165) की वृद्धि हुई।

ब्याज प्राप्तियां (सकल) (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	8,367	8,985	9,406	10,040
2.	रेलवे	9,148	7,983	5,441	5,630
3.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	1,323	1,108	1,149	6,064
4.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	2,052	1,726	2,998	1,968
5.	अन्य	27,117	24,225	19,866	16,352
	कुल	48,007	44,027	38,860	40,054

लाभांश

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर लाभांश जोकि 2013-14 के दौरान ₹90,442 करोड़ था उसमें ₹581 करोड़ की कमी होकर वह 2014-15 में ₹89,861 करोड़ हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभांश में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के लाभांश में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई।

लाभांश - मुख्य स्रोत (सकल) (₹ करोड़)					
क्र.सं.	मुख्य स्रोत	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	32,996	47,333	30,630	29,034
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,635	1,437	1,282	1,138
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	2,456	8,184	5,656	5,029
4.	भारतीय रिजर्व बैंक	52,679	33,010	16,010	15,009
5.	अन्य	95	478	184	399

ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां

ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यतः सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश शामिल होता है। वर्ष 2014-15 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के कारण ₹1,415 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के प्रीमियम से ₹23,477 करोड़ की राशि प्राप्त हुई ।

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	1,415	4,231	2,761	401
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	23,477	14,023	22,647	13,627
3.	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	12,845	11,114	482	4,060
	कुल	37,737	29,368	25,890	18,088

* संघ सरकार के करेतर राजस्व को दर्शाने वाला विवरण और वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर है।

व्यय

वर्ष 2014-2015 के दौरान, सरकार का कुल व्यय ₹16,63,673 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,04,226 करोड़ [7%] की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹14,66,992 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹95,220 करोड़ [7%] की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹1,96,681 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹9,006 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 12% था।


व्यय (₹ करोड़)							
विवरण	2014-15			2013-14			वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	
राजस्व	3,57,597	11,09,395	14,66,992	3,52,732	10,19,040	13,71,772	7%
सामान्य सेवाएं	557	7,07,857	7,08,414	1,296	6,40,335	6,41,632	10%
सामाजिक सेवाएं	28,515	27,461	55,976	1,02,219	27,112	1,29,331	-57%
आर्थिक सेवाएं	71,361	2,93,132	3,64,493	1,14,377	2,87,028	4,01,405	-9%
सहायता अनुदान	2,57,164	80,945	3,38,109	1,34,840	64,565	1,99,404	70%
पूंजीगत	1,05,046	91,635	1,96,681	1,00,595	87,080	1,87,675	5%
सामान्य सेवाएं	4,033	86,152	90,185	4,841	83,222	88,063	2%
सामाजिक सेवाएं	4,375	500	4,875	3,458	356	3,814	28%
आर्थिक सेवाएं	68,911	3,492	72,403	73,622	2,979	76,601	-5%
कर्ज एवं अग्रिम	27,727	1,491	29,218	18,674	523	19,197	52%
कुल व्यय	4,62,643	12,01,030	16,63,673	4,53,327	11,06,120	15,59,447	7%

₹1,96,681 करोड़ के कुल पूंजीगत व्यय में से ₹1,67,463 करोड़ (85%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (15%) के रूप में थे।

वर्ष	परिसंपत्ति निर्माण		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2005-06	53,869	81%	12,493	19%	66,362
2006-07	58,759	85%	10,019	15%	68,778
2007-08	1,06,940	90%	11,298	10%	1,18,238
2008-09	75,572	84%	14,586	16%	90,158
2009-10	97,032	86%	15,346	14%	1,12,378
2010-11	1,31,620	84%	24,985	16%	1,56,605
2011-12	1,30,575	82%	28,005	18%	1,58,580
2012-13	1,45,144	87%	21,714	13%	1,66,858
2013-14	1,68,478	90%	19,197	10%	1,87,676
2014-15	1,67,463	85%	29,218	15%	1,96,681

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹7,98,599 करोड़ (कुल व्यय का 48%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशनों, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय ₹60,851 करोड़ (कुल व्यय का 4%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹4,36,896 करोड़ (कुल व्यय का 26%) था। राज्य सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹3,38,109 करोड़ (कुल व्यय का 20%) जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान ₹ 29,218 करोड़ (कुल व्यय का 2%) के कर्ज और अग्रिम प्रदान किए गए।



योजना व्यय

2014-15 के दौरान योजना व्यय ₹4,62,643 करोड़ था। पिछले वर्ष के ₹4,53,327 करोड़ की तुलना में, योजना व्यय में 2% की वृद्धि हुई।

मुख्य योजना स्कीमें

भारत सरकार ने बजट अनुमान 2014-15 के दौरान केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों का पुनर्गठन किया है। तदनुसार, 126 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को 66 स्कीमों में पुनर्गठित किया गया जिसमें 17 प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। बजट अनुमान 2014-15 में इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य योजना स्कीमों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराई गई है। 2013-14 के ₹1,36,254 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले राज्य योजना 2014-15 में ₹3,38,408 करोड़ का बड़ा आबंटन यह दर्शाता है।

योजनेतर व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के ₹11,06,120 करोड़ की तुलना में ₹12,01,030 करोड़ था जो 9% अधिक था। अकेले ब्याज अदायगियां (₹4,02,444 करोड़) ही कुल योजनेतर व्यय का 34% लेखाबद्ध की गईं। रक्षा व्यय (₹2,18,694 करोड़) और आर्थिक सहायताएं (₹2,58,299 करोड़) योजनेतर व्यय की अन्य प्रमुख मदें थीं।

मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-4 पर रखा गया है।

योजनेतर व्यय - मुख्य संघटक (₹ करोड़)					
विवरण	2014-15		2013-14		वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
ब्याज	4,02,444	34%	3,74,254	34%	8%
आर्थिक सहायताएं	2,58,299	22%	2,54,745	23%	1%
रक्षा	2,18,694	18%	2,03,499	18%	7%
पेंशन	93,611	7%	74,896	7%	25%
पुलिस	47,768	4%	43,952	4%	9%
सहायता अनुदान	80,945	7%	64,565	5%	25%
कर्ज	1,491	0%	523	0%	185%
संघ राज्य क्षेत्रों का योजनेतर व्यय	4,928	1%	4,578	1%	8%
अन्य	92,850	8%	85,108	8%	9%
कुल	12,01,030	100%	11,06,120	100%	9%

रक्षा पर ब्याज अदायगियों और व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 8% और 7% की वृद्धि हुई। आर्थिक सहायताओं पर व्यय में भी 1% की मामूली सी वृद्धि हुई। पेंशनों (₹93,611 करोड़) और सहायता अनुदान (₹80,945 करोड़) पर व्यय में 25% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जबकि पुलिस पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि हुई।

आर्थिक सहायता

आर्थिक सहायताओं पर व्यय वर्ष 2013-14 में ₹2,54,745 करोड़ था वह वर्ष 2014-15 में बढ़कर ₹2,58,299 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1% की वृद्धि हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायता क्रमशः ₹1,71,671 करोड़, ₹71,090 करोड़ तथा ₹60,269 करोड़ थी। पेट्रोलियम सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में 29% की कमी आई। अन्य मदों में भी सब्सिडी बिल में 6% की कमी आई। खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी में, तथापि क्रमशः 28% और 5% की वृद्धि हुई।

मुख्य आर्थिक सहायताएं (₹ करोड़)			
विवरण	2014-15	2013-14	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
खाद्य	1,17,671	92,000	28%
उर्वरक	71,090	67,485	5%
पेट्रोलियम	60,269	85,378	(-)29%
अन्य	9,269	9,902	(-)6%
कुल	2,58,299	2,54,745	1%

ब्याज आर्थिक सहायता वर्ष 2014-15 में ₹7,659 करोड़ थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹460 करोड़ की कमी आई। ब्याज सहायता का मुख्य घटक किसानों को अल्पकालिक ऋण (₹6,000 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए दी गई आर्थिक सहायता थी। अन्य आर्थिक सहायता भी 2013-14 में ₹1,782 करोड़ से घटकर 2014-15 में ₹1,610 करोड़ हो गई।

1. संघ सरकार के योजनेतर व्यय के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-5 पर है। वेतन एवं भत्ते योजनेतर व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार/विभाग-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।

2. आर्थिक सहायताओं के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-7 पर है।

निवल उधार

सरकारी उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थाएं होती हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, सरकार ने ₹41,922 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्दायगी के रूप में ₹26,547 करोड़ प्राप्त किए। इससे, अग्रिमों की राशि में ₹15,375 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 के अंत में, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज ₹2,56,644 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार (₹ करोड़)						
क्र. सं.	विवरण	01-अप्रैल-14	वृद्धियां	प्राप्तियां	31 मार्च 15	वृद्धि/कमी
1.	राज्य सरकारें	1,45,809	11,940	10,583	1,47,166	1,357
2.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	4,058	72	75	4,055	(-)3
3.	विदेशी सरकारें	7,819	2,114	722	9,211	1,392
4.	सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	83,005	27,647	14,891	95,761	12,756
5.	सरकारी कर्मचारी	578	149	276	451	(-)127
	कुल	2,41,269	41,922	26,547	2,56,644	15,375

निवेश

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹33,581 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹4,72,159 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश (₹ करोड़)		
क्र.सं.	विवरण	निवेश की गई राशि
1.	सांविधिक निगम	6,580
2.	सरकारी कंपनियां	3,02,332
3.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय	63,877
4.	राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	99,092
5.	सहकारी समितियां	278
	कुल	4,72,159


योजनागत और योजनेतर व्यय के मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्योरे परिशिष्ट-8 पर हैं।

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व की अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अलावा, लोक लेखे में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के बजट के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में काम करता है।

31 मार्च, 2015 को सरकार की कुल देयताएं ₹56,06,815 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹47,38,291 करोड़ (83%), बाह्य ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर] ₹1,97,514 करोड़ (4%) और अन्य देयताएं ₹6,71,010 करोड़* (13%) थीं।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं



31 मार्च, 2015 को कुल लोक ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण] ₹49,35,805 करोड़ था। लोक ऋण जोकि वर्ष के आरंभ में ₹44,25,308 करोड़ था उसमें वर्ष के दौरान 12% की वृद्धि हुई। लोक ऋण 31.3.2015 को चालू विनिमय दर पर ₹51,04,675 करोड़ था जबकि 31.3.2014 को यह ₹46,15,250 करोड़ था।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केंद्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियां भी आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।

*31.3.2015 को लोक लेखे में केंद्र सरकार की कुल देयता ₹13,41,220 करोड़ थी। इसमें से, ₹90,707 करोड़ संचित घाटा है, ₹5,43,499 करोड़ राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹1,500 करोड़ आईआईएफसीएल में निवेश किए गए और पीओएलआईएफ से संबंधित ₹34,504 करोड़ निजी निधि प्रबंधकों के पास निवेश किए गए इस प्रकार इसमें ₹6,71,010 करोड़ की बकाया निवल देयता है।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण की कुल राशि जोकि वर्ष के प्रारंभ में ₹42,40,727 करोड़ थी वह वर्ष के अंत में बढ़कर ₹47,38,291 करोड़ हो गई। बाजार कर्ज में ₹4,50,138 करोड़ की वृद्धि होकर ₹38,91,734 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण (₹ करोड़)					
स्रोत	01 अप्रैल 14	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 15	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	34,41,596	6,29,374	1,79,236	38,91,734	4,50,138
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	35,181	11,973	759	46,395	11,214
364 दिन के खजाना बिल	1,36,956	1,49,201	1,43,005	1,43,152	6,196
अर्थोपाय अग्रिम	-	3,16,116	3,16,116	-	-
14 दिन के खजाना बिल	86,816	22,16,125	22,17,262	85,679	(-)1,137
विक्रेय प्रतिभूतियां	72,818	-	5,000	67,818	(-)5,000
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	64,569	-	-	64,569	-
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	34,294	3,450	1,302	36,442	2,148
पीएलआई के अंतर्गत शेष राशियों के बदले जारी केन्द्रीय सरकार के विशेष प्रतिभूतियां	20,894	-	-	20,894	-
बाजार स्थिरीकरण स्कीम	-	-	-	-	-
अन्य	3,47,603	8,58,424	8,24,419	3,81,608	34,005
कुल आंतरिक ऋण	42,40,727	41,84,663	36,87,099	47,38,291	4,97,564

बाजार स्थिरीकरण स्कीम को मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के कारण बाजार में उपलब्ध अधिक चल निधि को आमेलित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया था। 31.3.2015 को बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत कोई बकाया शेष नहीं था।

बाह्य ऋण

2014-15 के अंत में बाह्य ऋण का स्टॉक [ऐतिहासिक विनिमय दरों पर] ₹1,97,514 करोड़ है जो कुल बकाया ऋण का 4% है। वर्तमान विनिमय दर पर [31.3.2015 की स्थिति के अनुसार] यह ₹3,66,384 करोड़ है - इसमें 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹3,74,483 करोड़ में ₹8,099 करोड़ की कमी हुई।

ब्याज वाले बाजार कर्जों की परिपक्वता विवरणिका परिशिष्ट-9 पर है।

बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
	01-अप्रैल-14	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-15	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	59,097	8,425	7,936	59,586	489	1,52,169
जापान	44,923	10,417	3,718	51,622	6,699	75,252
एशियाई विकास बैंक	39,515	6,562	2,250	43,827	4,312	57,935
जर्मनी	2,127	499	1,190	1,436	(-)691	12,611
आई बीआरडी	38,814	5,635	4,150	40,299	1,485	57,107
आई एफएडी	814	192	78	928	114	2,145
संयुक्त राज्य अमेरिका	(-)1,115	0	178	(-) 1,293	(-) 178	1,329
अन्य	406	1,804	1,101	1,109	703	7,836
कुल बाह्य ऋण	1,84,581	33,534	20,601	1,97,514	12,933	3,66,384

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	मुद्रा	01-अप्रैल-14	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-15	वृद्धि/कमी
एडीबी	अमरीकी डालर	855	107	37	925	70
जर्मनी	यूरो	193	7	15	185	(-)8
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	888	92	68	912	24
आईडीए	अमरीकी डालर	276	0	24	252	(-)24
आईडीए	एसडीआर	1,556	88	70	1,574	18
जापान	येन	1,35,572	14,289	6,687	1,43,174	7,602
रूसी परिसंघ	₹	647	0	28	619	(-)28
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	91	0	13	78	(-)13

लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च 2015 को लोक लेखे में ₹6,71,010 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹5,90,920 करोड़ की थीं और शेष ₹80,090 करोड़ की बिना ब्याज वाली देयताएं थीं।

लोक लेखे की देयताएं (₹ करोड़)					
विवरण	01-अप्रैल-14	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-15	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	4,88,000	4,99,555	5,05,402	4,82,153	-5,847
अन्य ब्याज वाली	95,479	60,386	47,098	1,08,767	13,288
आरक्षित निधि	8,227	45,820	44,174	9,873	1,646
जमा	87,252	14,566	2,924	98,894	11,642
अन्य-बिना ब्याज वाली	60,582	2,17,839	1,98,331	80,090	19,508
आरक्षित निधियां	22,116	1,01,21	97,757	25,580	3,464
जमा	38,466	1,16,618	1,00,574	54,510	16,044
कुल	6,44,061	7,77,780	7,50,831	6,71,010	26,949

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन विभिन्न अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुनः निवेश किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण [निवल] ₹49,937 करोड़ था। इस अवधि के दौरान निधि की आय (इसके निवेशों पर) और व्यय क्रमशः ₹72,019 करोड़ ₹83,351 करोड़ थे। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के निवेश में ₹56,579 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, इस निधि के अंतर्गत शेष जो कि वर्ष के आरंभ में ₹1,08,540 करोड़ था वह इस वर्ष के अंत में घटकर ₹90,566 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (₹ करोड़)					
विवरण	01 अप्रैल 14	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 15	वृद्धि/कमी
अंतर्वाह	8,58,350	3,76,753	2,54,797	9,80,306	1,21,956
संग्रहण	8,58,350	3,04,734	2,54,797	908,287	49,937
बचत जमा	3,98,993	2,15,121	2,08,702	4,05,412	6,419
बचत प्रमाण पत्र	1,88,174	23,381	28,229	1,83,326	(-4,848)
लोक भविष्य निधि	2,71,183	66,232	17,866	3,19,549	48,366
निवेश से आय		72,019		72,019	72,019
बहिर्वाह	7,49,810	25,077	1,65,007	8,89,740	1,39,930
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	7,49,810	25,077	81,656	8,06,389	56,579
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	2,29,165	1,302	33,528	2,61,391	32,226
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	5,19,145	23,775	48,128	5,43,498	24,353
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	1,500	0	0	1,500	0
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय			83,351	83,351	83,351
शेष	1,08,540	3,51,676	89,790	90,566	-17,974

31 मार्च, 2015 को इस स्कीम के अभिदाताओं के प्रति, निधि के कुल स्टॉक में ₹9,08,287 करोड़ की देयताएं थीं, जिसमें से ₹4,05,412 करोड़ बचत जमाओं के लिए, ₹1,83,326 करोड़ बचत प्रमाण पत्रों के लिए और ₹3,19,549 करोड़ लोक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2014-15 के अंत में निधि का निवेश ₹8,06,389 करोड़ था, जिसमें से ₹5,43,498 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, ₹2,61,391 करोड़ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में और शेष ₹1,500 करोड़, अन्य लिखतों में निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबद्ध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उनके शेयर पूंजी की पुनर्दायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपस्कर की आपूर्तियों के लिए अदायगी आदि की गारंटी देती है। इन गारंटियों में सरकार की ऐसी आकस्मिक देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने की स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाना होता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था वह ₹3,05,519 करोड़ थी। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ₹2,94,700 करोड़ की गारंटियां बकाया थीं। वर्ष 2014-15 के लिए गारंटियों की निवल अभिवृद्धि ₹41,456 करोड़ है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.33% है। वर्ष 2013-14 के दौरान वसूल किए गए ₹682 करोड़ की तुलना में सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में ₹776 करोड़ वसूल किए।

सरकार की गारंटियां (₹ करोड़)			
विवरण	31-मार्च-14	31-मार्च-15	वृद्धि/कमी
I भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मूलधन और ब्याज आदि की पुनर्दायगी के लिए गारंटियां	71,838	77,508	5,670
II सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं को शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम लाभांश की अदायगी, बांडों/कर्जों आदि की पुनर्दायगी के लिए गारंटियां	27,834	31,020	3,186
III मूलधन की पुनर्दायगी, कर्ज आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति के लिए करारों के प्रति अदायगी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता अभिकरणों, विदेशी सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां	1,52,962	1,85,562	32,600
IV कंपनियों/निगमों को पूर्तियों के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्रों के लिए बैंकों को प्रति-गारंटियां	610	610	—
V रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	—	—	—
VI विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई सविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटियां	—	—	—
VII अन्य	—	—	—
कुल	2,53,244	2,94,700	41,456

विनियोग लेखे

वर्ष 2014-15 के लिए संसद ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 101 अनुदानों के अंतर्गत ₹5,784,779 करोड़ के कुल प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹40,796 के पूरक अनुदान आदि के माध्यम से बढ़ाकर ₹5,825,575 करोड़ कर दिया गया। ₹5,825,575 करोड़ का अंतिम प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में ₹109,758 करोड़ [2%], अधिक था।

इस प्रावधान की तुलना में वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹52,89,683 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹3,85,683 करोड़ की बचत सहित ₹42,11,160 करोड़ था जबकि स्वीकृत अंश के अंतर्गत व्यय, ₹10,78,523 करोड़ और बचत ₹ 1,50,209 करोड़ थी।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार (₹ करोड़)

	मूल प्रावधान (1)	अंतिम प्रावधान (2)	अंतर (3)=(2)-(1)	वास्तविक व्यय (4)	अंतर (5)=(4)-(2)
प्रभारित	4,596,386	4,596,843	457	4,211,160	(-)385,683
स्वीकृत	1,188,393	1,228,732	40,339	1,078,523	(-)150,209
कुल	5,784,779	5,825,575	40,796	5,289,683	(-)535,892

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 20% था, शेष 80% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से ऋण की पुनर्दायगी (₹3,707,700 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹425,098 करोड़) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (₹73,711 करोड़) शामिल थे। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.88% था। विनियोग - “ऋण की पुनर्दायगी” में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹3,490,183 करोड़ की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

राजस्व भाग में कुल प्रावधान से अधिक व्यय होने के तीन मामले और पूंजीगत भाग में दो मामले थे।

बजट प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय (₹ करोड़)							
अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
20	रक्षा मंत्रालय प्रभारित	1.09	6.73	7.78	6.73	6.69	* 0.00
21	रक्षा पेंशन प्रभारित	10.00	-	14.55	-	4.55	-
	स्वीकृत	50999.30	-	60435.20	-	9435.90	-
77	विद्युत मंत्रालय स्वीकृत	-	2986.51	-	9179.92	-	6193.41

* अधिक व्यय की राशि ₹12 हजार थी।

अधिक व्यय के कारण निम्नानुसार हैं:-

अनुदान/विनियोग		भाग	अधिक व्यय (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
20	रक्षा	राजस्व प्रभारित	6.69	अदालत के आदेश की वजह से वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण
		पूंजीगत प्रभारित	0.00	अदालत के निर्देशानुसार सविदाकार के पूरे भुगतान का निपटारा किए जाने के कारण
21	रक्षा पेंशन	राजस्व प्रभावित	4.55	न्यायालय के आदेश को लागू किए जाने के कारण
		राजस्व स्वीकृत	9435.90	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ज्यादा संख्या में काम पर रखे जाने तथा उच्चतम के अंतर्गत राशि का निपटान करने के लिए बैंकों से प्राप्त लॉबित पेंशन स्क्रालों की बुकिंग किए जाने के कारण
77	विद्युत मंत्रालय	पूंजीगत स्वीकृत	6193.41	भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. द्वारा वर्ष के अंत में बोनस डिबेंचरों को जारी किए जाने के कारण

बचत

वर्ष 2014-15 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹5,51,532 करोड़ की बचत हुई। कुल ₹15,640 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व स्वीकृत	5029	बिलों को समायोजित न किए जाने के कारण
34	वित्तीय सेवाएं विभाग	पूँजीगत स्वीकृत	13725	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वांछित स्तर पर जोखिम परिसंपत्ति औसत के टीयर-1 पूँजी रखने के लिए कम पूँजीगत सहायता उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय निवेश निधि के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूँजीकरण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण।
35	विनियोग-ब्याज अदायगियां	राजस्व प्रभावित	24784	अंतरण और वापसी खरीद प्रक्रियाओं, ब्याज दरों में शिथिलता तथा उधार की कम मात्रा, खजाना बिलों का कम निर्गम से अर्जित प्रीमियम और अर्थोपाय अग्रिम का कम उपयोग, सरकारी खातों में अधिक रोकड़ की उपलब्धता के कारण ओवरड्राफ्ट तथा राज्य सरकार द्वारा कम निवेश के कारण।
36	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	राजस्व स्वीकृत	9439	कम आपदाएं होने, राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र और निर्धारित लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त न होने तथा नीति आयोग द्वारा योग्य विशेष श्रेणी राज्यों को निधिया आर्बटित न किए जाने के कारण
38	ऋण पुनर्अदायगी का प्रबंध	पूँजीगत प्रभारित	356325	भारत सरकार के रोकड़ शेष में अधिशेष होने की वजह से वापसी खरीद कम होने, अर्थोपाय अग्रिम कम उपयोग होने तथा खजाना बिल और रोकड़ न बिलों के कम निर्गम होने के कारण
47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	6505	आपूर्तियों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कुछ स्कीमें शुरू न होने, राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण।
59	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता	राजस्व स्वीकृत	14615	व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने, शिक्षा उपकार की कम वसूली होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण

लेखे एक नज़र में

84	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व स्वीकृत	13117	स्कीमों कार्यान्वित न किए जाने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण
106	जल संसाधन मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	9728	स्कीमों के मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण

₹100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदान / विनियोग का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-10 पर है।

शब्दावली

आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151(1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जिसे संसद से प्राधिकृत करना लंबित रखा जाता है, सरकार के पास अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि रखी जाती है जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि जमा रहती है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा अदा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

- (क) सरकारी रोकड़ शेष में और उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,

- (ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन देन) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और
- (ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान आदि में परिवर्तित करना)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण का करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जों) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसम्पत्तियों को मूल्यहासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसम्पत्तियों की समय सीमा का अंत होने पर उनकी हानियों अथवा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां/व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, मशीनरी और उपस्कर तथा सरकारी इक्विटी निवेशों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जों को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात् ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों

पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात “8680 – विविध सरकारी लेखे” को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य पर पहचान की जाती है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित ‘भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक’ के अनुसरण में है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात् उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाजार अर्थात् मुख्यतः बैंको से) द्वारा किया जा सकता है।

प्रारंभिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

योजना एवं योजनेतर व्यय

योजनेतर व्यय एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अनिवार्य स्वरूप के सरकार के सभी व्यय अर्थात् ब्याज अदायगियां, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पेंशन प्रभार और सांविधिक अंतरण को शामिल करने के लिए किया जाता है। व्यय का एक भाग राज्य के अनिवार्य कार्यों अर्थात् रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामलों और राजस्व संग्रहण से संबंधित होता है। अन्य सभी व्यय योजना व्यय होता है। यह राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय हो सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत ‘प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को

देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं - सामान्य और विशेष।

संशोधित अनुमान/बजट अनुमान/वास्तविक

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्त प्रावधान होता है जिसे सामान्यतः वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को लेखे में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन आदि से प्राप्त (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियों को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्दायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज जारी किए जाने सहित अपना कार्य करने के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेन देनों को 6-स्तरीय उत्क्रम ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों [जोकि अधिकांशतः विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर सांविधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं] में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- ❖ उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- ❖ लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- ❖ उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।

- ❖ ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और
- ❖ वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए [जैसे वेतन, कार्यालय व्यय]

व्यय लेन देनों को 'योजना' या 'योजनेतर' व्यय और 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान किए जाने और साथ ही सरकार द्वारा किसी नई नीति को लागू करने के निर्णय को संसद से इसका अनुमोदन लंबित रखते हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अगला सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने वाले कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जानी होती हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ अल्प बचत
- ❖ आरक्षित निधियां
- ❖ जमा और अग्रिम
- ❖ उचंत और विविध
- ❖ प्रेषण
- ❖ रोकड़ शेष

लेखे एक नज़र में

परिशिष्ट

1. दस वर्षीय सारांश	41
2. करेतर राजस्वों का विवरण	43
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण.....	44
4. मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय	45
5. योजनेतर व्यय का विवरण	46
6. वेतन और भत्तों पर व्यय	48
7. आर्थिक सहायताओं का विवरण	54
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय.....	57
9. ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता ब्योरा	80
10. ₹100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	81

लेखे एक नज़र में

दस वर्षीय सारांश

परिशिष्ट-1

(₹ करोड़)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियाँ	3,47,462	4,34,387	5,41,925	5,40,259	5,72,811	7,88,471	7,51,158	8,79,231	10,14,719	11,01,381
सकल कर राजस्व	3,64,649	4,71,512	5,91,347	6,03,498	6,21,368	7,89,172	8,84,900	10,33,424	11,34,084	12,41,424
निगम कर	1,01,277	1,44,306	1,92,911	2,13,395	2,44,725	2,98,688	3,22,816	3,56,326	3,94,678	4,28,925
आय कर	55,976	75,093	1,02,644	1,06,046	1,22,370	1,39,102	1,64,525	1,96,843	2,37,817	2,58,325
सीमा शुल्क	65,067	86,327	1,04,119	99,879	83,324	1,35,813	1,49,328	1,65,346	1,72,085	1,88,016
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,11,226	1,17,612	1,23,425	1,08,402	1,02,991	1,37,701	1,44,901	1,75,845	1,69,455	1,89,038
सेवा कर	23,055	37,597	51,301	60,941	58,422	71,016	97,509	1,32,601	1,54,778	1,67,969
केंद्र को निवल कर राजस्व	2,70,264	3,51,182	4,39,547	4,43,319	4,56,536	5,69,869	6,29,486	7,41,877	8,15,854	9,03,615
करेतर राजस्व	77,198	83,205	1,02,378	96,940	1,16,275	2,18,602	1,21,672	1,37,354	1,98,865	1,97,766
व्याज प्राप्तियाँ	22,032	21,371	21,061	20,717	21,783	19,718	20,252	20,760	21,868	23,712
लाभांश और लाभ	25,451	29,309	34,500	38,607	50,250	47,991	50,608	53,761	90,435	89,833
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ	12,226	6,426	43,895	6,705	33,194	35,266	36,938	40,950	41,865	51,475
विनिवेश से आय	1,570	-	4,387	22	2,233	1,676	401	2,761	4,231	1,415
व्यय	5,06,123	5,83,386	7,12,732	8,83,956	10,24,488	11,97,328	13,04,365	14,10,371	15,59,447	16,63,673
योजना व्यय	1,40,638	1,69,860	2,05,082	2,75,235	3,03,393	3,79,065	4,12,375	4,13,627	4,53,327	4,62,643
योजनाेतर व्यय	3,65,485	4,13,526	5,07,650	6,08,721	7,21,095	8,18,263	8,91,990	9,96,744	11,06,120	12,01,030
राजस्व व्यय	4,39,761	5,14,608	5,94,494	7,93,798	9,11,810	10,40,723	11,45,785	12,43,513	13,71,772	14,66,992
पूंजीगत व्यय	66,362	68,778	1,18,238	90,158	1,12,678	1,56,605	1,58,580	1,66,858	1,87,675	1,96,681
उधार ऋणात्मक पुनर्भेदायगी	692	(8,672)	1,385	1,077	3,382	11,388	1,586	5,441	6,451	15,375
राजकोषीय घाटा	1,46,435	1,42,573	1,26,912	3,36,992	4,18,483	3,73,591	5,16,269	4,90,190	5,02,863	5,10,817
राजस्व घाटा	92,299	80,221	52,569	2,53,539	3,38,999	2,52,252	3,94,627	3,64,282	3,57,053	3,65,611
प्रभावी राजस्व घाटा	-	-	-	-	-	1,64,765	2,61,036	2,48,572	2,27,214	2,34,851
प्रारंभिक घाटा	13,805	(-),7,699	(44,118)	1,44,788	2,05,390	1,39,569	2,43,119	1,77,020	1,29,296	1,08,373
लोक ऋण (शेष)	15,83,957	17,46,207	20,09,755	22,83,900	25,77,645	29,45,992	35,53,519	40,96,570	46,15,250	51,04,675
आंतरिक ऋण	13,89,758	15,44,975	17,99,651	20,19,841	23,28,339	26,67,115	32,30,622	37,64,566	42,40,767	47,38,291
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	1,94,199	2,01,232	2,10,104	2,64,059	2,49,306	2,78,877	3,22,897	3,32,004	3,74,483	3,66,384
भारत सरकार की अन्य देयताएं	3,84,842	4,38,842	4,66,602	5,56,235	5,83,279	5,86,457	5,97,766	6,10,016	6,44,061	6,71,010
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशतता										
राजस्व प्राप्तियाँ	9.7	10.5	11.50	9.96	9.29	10.27	8.43	8.69	8.94	8.70
सकल कर राजस्व	10.2	11.4	12.55	11.12	10.08	10.28	9.93	10.22	9.99	9.81
करेतर राजस्व	2.2	2.0	2.17	1.79	1.89	2.85	1.37	1.36	1.75	1.56
व्यय	14.2	14.1	15.12	16.29	16.62	15.60	14.64	13.95	13.73	13.15
राजस्व व्यय	12.3	12.5	12.61	14.63	14.79	13.56	12.86	12.30	12.08	11.59
पूंजीगत व्यय	1.9	1.7	2.51	1.66	1.83	2.04	1.78	1.65	1.65	1.55
राजकोषीय घाटा	4.1	3.5	2.69	6.21	6.79	4.87	5.79	4.85	4.43	4.04
राजस्व घाटा	2.6	1.9	1.12	4.67	5.50	3.29	4.43	3.60	3.14	2.89
प्रभावी राजस्व घाटा	-	-	-	-	-	2.15	2.93	2.46	2.00	1.86
लोक ऋण	44.4	42.3	42.64	42.09	41.82	38.39	39.87	40.51	40.64	40.34
आंतरिक ऋण	39.0	37.4	38.18	37.22	37.77	34.75	36.25	37.22	37.35	37.45
बाह्य ऋण	5.4	4.9	4.46	4.87	4.04	3.63	3.62	3.28	3.30	2.90

परिशिष्ट-2

करेतर राजस्व 2014-15

(₹ करोड़)

विवरण				2014-15 2013-14		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क ब्याज प्राप्तियां						
सकल	43209.06	47985.19	111	42629.42	43,991.35	103
घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां	19424.31	22654.12	117	20434.34	20,945.98	103
ब्याज का अधित्याग	1619.01	1619.01	100	1177.24	1,177.24	100
निवल	22165.74	23712.06	107	21017.84	21,868.13	104
ख लाभांश और लाभ	88781.09	89833.04	101	88187.93	90,434.52	103
ग संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व	1243.35	1362.26	110	1097.01	1,474.13	134
घ अन्य करेतर राजस्व						
1. राजकोषीय सेवाएं	744.00	1393.59	187	193.21	883.77	457
अन्य सामान्य सेवाएं	15661.22	13479.52	86	13030.28	11,745.63	90
घटाएं- राज्य सरकार के बट्टे खाते डाले गए कर्ज/ब्याज की छूट	0.00	0.00	0	63.69	63.68	100
घटाएं - गारंटी शुल्क की छूट	7.71	7.71	100	12.11	11.47	95
घटाएं-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	1000.00	0.00	0	1000.00	0.00	0
2. निवल	14653.51	13471.81	92	11954.48	11,670.48	98
3. सामाजिक सेवाएं	3702.60	1674.87	45	1355.48	1,263.89	93
आर्थिक सेवाएं -						
सकल	100608.38	81395.59	81	81577.70	83192.61	102
घटाएं- इक्विटी का अवलिखित मूल्य	0.00	0.00	0	12.95	12.95	100
- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां	4.50	2.31	51	4.50	4.58	102
4. निवल	100603.88	81393.28	81	81560.25	83175.08	102
कुल अन्य करेतर राजस्व (1+2+3+4)	119703.99	97933.55	82	95063.42	96993.22	102
घटाएं						
वाणिज्यिक विभाग	16873.59	16675.27	99	15275.33	15522.94	102
निवल अन्य करेतर राजस्व	102830.40	81258.28	79	79788.09	81470.28	102
सहायता अनुदान और अंशदान	2811.09	1599.87	57	3134.84	3618.07	115
जोड़	217831.67	197765.51	91	193225.71	198865.13	103

लेखे एक नजर में

परिशिष्ट-3

वाणिज्यिक प्राप्तियां 2014-15

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2014-15			2013-14		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
1	सामान्य सेवाएं कैंटीन स्टोर विभाग	14575.00	13501.72	92.64	12508.00	11694.58	93.50
	आर्थिक सेवाएं						
2	दिल्ली दुग्ध योजना	410.43	393.50	95.88	371.40	323.04	86.98
3	अफीम एवं एल्केलायड फैक्टरियां	287.82	255.94	88.92	316.47	347.56	109.82
4	ईंधन निर्माण सुविधएं	2418.43	1816.83	75.61	2166.38	1587.99	73.30
5	ईंधन माल सूची	1964.39	2123.74	108.11	2162.93	2064.25	95.44
6	भारी पानी पूल प्रबंधन	1120.00	1120.00	100.00	910.00	910.00	100.00
7	बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	224.60	228.88	101.91	240.63	245.88	102.18
8	प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	240.00	220.40	91.83	230.00	223.80	97.30
9	डाक प्राप्तियां	11327.92	11635.98	102.72	9787.52	10730.42	109.63
10	भारतीय रेल	163450.13	161017.25	98.51	144167.82	143213.88	99.34
	जोड़	196018.72	192314.24	98.12	172861.15	171341.40	99.12

परिशिष्ट-4

2014-15 में मुख्य स्कीमों पर व्यय का ब्यौरा

(₹ करोड़)

क्र. सं.	मंत्रालय	स्कीम	2014-15 बजट अनुमान	2014-15 संशोधित अनुमान	2014-15 वास्तविक	2013-14 वास्तविक
1.	कृषि	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	9,954	8,237	8,443	7,052
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2,030	1,830	1,873	2,027
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	21,943	17,661	18,064	18,311
3.	मानव संसाधन विकास	सर्व शिक्षा अभियान	28,258	24,380	24,097	24,802
		विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	13,215	11,051	10,523	10,918
		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	5,000	3,480	3,398	3,046
4.	पंचायती राज	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	5,650	2,837	2,837	2,800
5.	विद्युत	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	5,144	2,886	2,874	2,939
6.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	टोल प्रेषण सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का निवेश	15,014	15,014	15,014	11,627
7.	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	33,000	33,000	32,993	32,977
		आजीविका	4,000	2,693	2,022	2,103
		ग्रामीण आवास	15,184	12,984	12,982	11,105
		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	21,700	9,807	9,805	14,188
		पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम)	11,000	9,700	9,691	9,219
		पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान)	4,260	3,990	3,103	2,800
8.	शहरी विकास	स्वच्छ भारत अभियान	-	1,690	859	-
9.	महिला और बाल विकास	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	18,195	16,597	16,581	16,254

योजनेतर व्यय 2014-15

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2014-15			2013-14		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क.	राजस्व व्यय						
1	ब्याज अदायगियां						
	सकल	430778.53	425098.26	98.68	400500.66	395199.59	98.68
	घटाएं प्रोद्भूत ब्याज	19424.31	22654.12	116.63	20434.34	20945.98	102.50
	निवल	411354.22	402444.14	97.83	380066.32	374253.61	98.47
2	रक्षा	140404.76	136807.20	97.44	124799.89	124374.31	99.66
3	मुख्य आर्थिक सहायताएं (खाद्य, चीनी, उर्वरक तथा पेट्रोलियम)	253913.12	249030.38	98.08	245451.50	244843.27	99.75
4	ब्याज तथा अन्य आर्थिक सहायताएं	12778.72	9268.91	72.53	10064.75	9901.68	98.38
5	डाक घाटा	6377.89	6120.62	95.97	5880.09	5339.28	90.80
6	पुलिस	48112.04	47767.62	99.28	43147.64	42094.88	97.56
7	पेंशन	81704.55	93610.72	114.57	74076.48	74896.18	101.11
8	आम चुनाव	606.58	580.64	95.72	772.08	711.47	92.15
9	अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	25198.78	25566.23	101.46	22285.04	23050.04	103.43
10	सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	25601.36	25938.90	101.32	25437.92	25687.33	100.98
11	राज्य आपदा राहत कार्य को सहायता-सकल	5120.00	3460.88	67.60	4650.00	4649.94	100.00
	घटाएं एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से पूरी की गई राशि	5120.00	3460.88	67.60	4650.00	4649.94	100.00
	निवल	0.00	0.00		0.00	0.00	
12	रेलवे को लाभांश राहत एवं अन्य रियायतें	4659.03	4681.36	100.48	4170.00	4046.06	97.03

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2014-15			2013-14		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
13	आर्थिक सेवाएं	22446.82	21798.52	97.06	21290.07	20700.40	97.23
14	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	80257.89	77124.90	96.10	61616.71	60551.08	98.27
15	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	4625.27	4834.60	104.53	4442.37	4576.46	103.02
16	विदेशी सरकारों को अनुदान	3856.06	3820.23	99.07	4187.75	4013.42	95.84
	कुल-राजस्व व्यय	1121897.09	1109394.97	98.88	1027688.61	1019039.47	99.16
ख.	पूंजीगत व्यय						
1	रक्षा	81965.24	81886.98	99.90	78872.23	79125.06	100.32
2	अन्य योजनेतर पूंजीगत परिव्यय	7771.39	8179.80	105.26	7804.07	7430.29	95.21
3	सार्वजनिक उद्यमों को कर्ज	853.27	1328.71	155.72	559.48	993.07	177.50
4	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	79.72	72.94	91.50	83.45	80.35	96.29
5	विदेशी सरकारों को कर्ज	0.00	0.00	0.00	158.00	156.00	98.73
6	अन्य योजनेतर कर्ज	646.19	72.61	11.24	-172.18	-706.20	410.15
7	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	11.47	93.54	815.52	-91.34	1.38	-1.51
	कुल-पूंजीगत व्यय	91327.28	91634.58	100.34	87213.71	87079.95	99.85
	कुल	1213224.37	1201029.55	98.99	1114902.32	1106119.42	99.21

लेखे एक नजर में

पररशरषुठ-6

वरुष 2014-15 के लररु वेतन और भतुतुं पर वुवु

(रु करुडु)

अनुदान संखुतर	मंत्ररलय / वरुभरग कर नरम	ररशर
	कृषर मंत्ररलय	
1	कृषर और सहकरररतर वरुभरग	231.40
2	कृषर अनुसंधरन और शररुषर वरुभरग	3.65
3	पशुपालन, डेरर और मतुसुतु पालन वरुभरग	133.89
	परमरणु ऊरुकर वरुभरग	
4	परमरणु ऊरुकर	2515.50
5	नरभरकरर वरुवुधुत सुकररुमें	2.02
	रसररुतुन और उवरुवरक मंत्ररलय	
6	रसररुतुन और पेटुु रसररुतुन वरुभरग	12.91
7	उवरुवरक वरुभरग	16.29
8	औषध नररुकरण वरुभरग	9.30
	नरगर वरुमरनन मंत्ररलय	
9	नरगर वरुमरनन मंत्ररलय	74.18
	करुडुलर मंत्ररलय	
10	करुडुलर मंत्ररलय	19.17
	वरुणररुषुतु और उदुधुडुग मंत्ररलय	
11	वरुणररुषुतु वरुभरग	362.34
12	औदुधुडुगकर नररुतर और संवरुधन वरुभरग	144.06
	संचरर और सुुकरनर प्रुुदुधुडुगकरर मंत्ररलय	
13	डरक वरुभरग	11626.31
14	दुूरसंचरर वरुभरग	249.03
15	सुुकरनर प्रुुदुधुडुगकरर वरुभरग	493.12
	उपभुुकरतर मरमले, खरदुधु और सररुवरकनरक वरुतरण मंत्ररलय	
16	उपभुुकरतर मरमले वरुभरग	52.78
17	खरदुधु ँवं सररुवरकनरक वरुतरण वरुभरग	54.80

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय	84.36
19	संस्कृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय	287.39
20-21	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1816.31
22-26	रक्षा मंत्रालय (रक्षा)	92006.81
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	17.84
29	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	6.54
30	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	312.49
31	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	176.53
32	विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय	1345.19
33	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	81.41
34	वित्तीय सेवाएं विभाग	67.41
39	व्यय विभाग	61.31
41	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	2714.24
42	राजस्व विभाग	203.03
43	प्रत्यक्ष कर - सीबीडीटी	2455.50
44	अप्रत्यक्ष कर - सीबीईसी	3181.18
45	विनिवेश विभाग	4.92
46	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	10.98

लेखे एक नजर में

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1622.84
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	13.28
50	एड्स नियंत्रण विभाग	4.19
	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
51	भारी उद्योग विभाग	13.34
52	लोक उद्यम विभाग	6.01
	गृह मंत्रालय	
53	गृह मंत्रालय	415.81
54	मंत्रिमंडल	72.47
55	पुलिस	37598.22
56	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	371.34
	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	
58	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	8.90
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
59	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	14.88
60	उच्चतर शिक्षा विभाग	72.13
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	225.70
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
62	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	377.30
	विधि और न्याय मंत्रालय	
63	निर्वाचन आयोग	24.24
64	विधि और न्याय	104.51
65	भारत का उच्चतम न्यायालय	121.92

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	121.17
67	खान मंत्रालय खान मंत्रालय	545.53
68	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	11.95
69	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	20.40
70	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	8.49
71	पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय	6.23
72	संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय	8.90
73	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	525.40
74	केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग	15.57
75	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	18.13
76	योजना मंत्रालय योजना मंत्रालय	89.70
77	विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय	85.65
78	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय राष्ट्रपति सचिवालय	22.63
79	लोकसभा	265.89
80	राज्यसभा	140.52

लेखे एक नजर में

		(₹ करोड़)
अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
81	संघ लोक सेवा आयोग	81.89
82	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	2.25
83	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय	408.48
84	ग्रामीण विकास विभाग	28.57
85	भू-संसाधन विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	7.09
86	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	321.95
87	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	8.21
88	जैव प्रौद्योगिकी विभाग पोत परिवहन मंत्रालय	14.75
89	पोत परिवहन मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	102.62
90	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	31.96
91	निःशक्तता मामले अंतरिक्ष विभाग	5.96
92	अंतरिक्ष विभाग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1409.66
93	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस्पात मंत्रालय	285.81
94	इस्पात मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय	14.87
95	वस्त्र मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय	167.27
96	पर्यटन मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय	34.42
97	जनजातीय कार्य मंत्रालय	13.79

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले)	
98	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1192.32
99	चंडीगढ़	1365.27
100	दादरा एवं नगर हवेली	138.74
101	दमन एवं दीव	122.33
102	लक्षद्वीप	109.63
	शहरी विकास मंत्रालय	
103	शहरी विकास विभाग	268.03
104	लोक निर्माण कार्य	972.25
105	लेखन सामग्री और मुद्रण	174.60
	जल संसाधन मंत्रालय	
106	जल संसाधन मंत्रालय	474.54
	महिला और बाल विकास मंत्रालय	
107	महिला और बाल विकास मंत्रालय	29.63
	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	
108	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	18.21
	कुल	171592.43

आर्थिक सहायताओं का विवरण (2014-15)

परिशिष्ट-7

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मुख्य आर्थिक सहायताएं -					
खाद्य	17	2408	115000.00	122675.81	117671.16
देशी (यूरिया) उर्वरक	7	2852	36000.00	38200.00	38200.01
आयातित (यूरिया) उर्वरक	7	2401	12300.00	12100.00	12223.09
किसानों को रियायत के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	7	2401	24670.30	20667.30	20667.30
पेट्रोलियम संबंधी आर्थिक सहायता	75	2802	63426.95	60270.00	60268.82
कुल मुख्य आर्थिक सहायता			251397.25	253913.12	249030.38
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता					
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों के लिए ब्याज सहायता-	94	2852	44.11	44.11	44.05
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग-					
1. खादी उद्योगों के लिए	66	2851	21.25	21.25	21.25
2. अन्य ग्रामीण उद्योगों के लिए	66	2851	5.36	5.36	5.36
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में जीवन बीमा निगम को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	34	2235	111.49	111.24	111.24
किसानों को अल्पावधि उधार प्रदान करने के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	34	2416	6000.00	9476.71	6000.00
निर्यात संवर्धन के अंतर्गत बैंकों को ब्याज संबंधी सहायता	11	3453	1625.00	1435.00	1427.00

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता	33	3475	450.00	0.00	0.00
नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास कर्ज के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का भुगतान	34	2885	50.00	50.00	50.00
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को ब्याज सहायता	20	2852	5.67	3.50	0.00
कुल ब्याज आर्थिक सहायता			8312.88	11147.17	7658.90

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
अन्य आर्थिक सहायता					
एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन	1	2401	80.00	70.00	77.35
हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	9	3053	550.00	583.84	577.08
चीनी के सुरक्षित भंडार के अनुरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता	17	2408	5.00	5.00	4.94
गैर-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड को आर्थिक सहायता	89	2852	0.01	0.00	0.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	56	3053	76.45	53.41	53.41
असम गैस परियोजनाओं को सब्सिडी	6	2852	0.01	0.01	0.00
एचएफसीएल, एमएफएल, एफएसीटी, एफसीआई और पीडीआईएल पर भारत सरकार के बकाया कर्ज और दांडिक ब्याज का माफ करना	7	3475	0.01	0.01	0.00
बाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन निगम को आर्थिक सहायता	95	2852	0.01	0.01	0.00
समर्थन मूल्य के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	95	2852	120.00	0.00	0.00
चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम-2014	17	2408	100.00	703.77	703.77
कच्ची चीनी उत्पाद के लिए विपणन और संवर्धन प्रोत्साहन	17	2408	0.00	200.00	183.87
राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केन्द्र को सहायता	89	2852	6.00	6.00	4.30
दलहनों के आयात पर आर्थिक सहायता	16	2408	10.00	9.50	5.29
कुल - अन्य आर्थिक सहायताएं			947.49	1631.55	1610.01

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2014-15
(दर्शाए गए आंकड़े प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	कृषि और सहकारिता	5325.69	4751.64	322.00	319.89	5647.69	5071.53
	राजस्व	5297.34	4726.96	321.34	319.29	5618.68	5046.25
	पूँजीगत	28.35	24.68	0.66	0.60	29.01	25.28
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2500.00	2456.82	2384.00	2383.19	4884.00	4840.01
	राजस्व	2500.00	2456.82	2384.00	2383.19	4884.00	4840.01
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	पशु पालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन	908.91	829.94	86.57	86.61	995.48	916.55
	राजस्व	892.11	820.29	85.90	86.15	978.01	906.44
	पूँजीगत	16.80	9.65	0.67	0.46	17.47	10.11
4	परमाणु ऊर्जा	3500.00	3460.74	4200.00	4676.21	7700.00	8136.95
	राजस्व	1173.00	1166.27	3217.00	3689.59	4390.00	4855.86
	पूँजीगत	2327.00	2294.47	983.00	986.62	3310.00	3281.09
5	नाभकीय विद्युत स्कीम	562.60	562.50	650.00	309.51	1212.60	872.01
	राजस्व	171.10	171.00	650.00	309.51	821.10	480.51
	पूँजीगत	391.50	391.50	0.00	0.00	391.50	391.50
6	रसायन और पेट्रो रसायन	173.00	151.38	52.73	44.23	225.73	195.61
	राजस्व	137.49	119.58	52.72	44.23	190.21	163.81
	पूँजीगत	35.51	31.80	0.01	0.00	35.52	31.80
7	उर्वरक	2.32	2.04	70992.73	71009.30	70995.05	71011.34
	राजस्व	2.05	2.04	70992.69	71009.30	70994.74	71011.34
	पूँजीगत	0.27	0.00	0.04	0.00	0.31	0.00
8	औषध निर्माण	87.49	75.64	49.55	48.23	137.04	123.87
	राजस्व	61.00	49.15	39.88	38.56	100.88	87.71
	पूँजीगत	26.49	26.49	9.67	9.67	36.16	36.16

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	(₹ करोड़)					
		योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
9	नागर विमानन	6000.00	5926.27	711.74	699.96	6711.74	6626.23
	राजस्व	176.90	111.33	711.74	699.96	888.64	811.29
	पूँजीगत	5823.10	5814.94	0.00	0.00	5823.10	5814.94
10	कोयला	500.00	473.87	47.72	225.92	547.72	699.79
	राजस्व	500.00	473.87	47.72	49.79	547.72	523.66
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	176.13	0.00	176.13
11	वाणिज्य	1535.16	1461.65	3587.40	3434.78	5122.56	4896.43
	राजस्व	1142.48	1087.44	3587.40	3434.78	4729.88	4522.22
	पूँजीगत	392.68	374.21	0.00	0.00	392.68	374.21
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन	1700.00	1641.00	238.20	225.70	1938.20	1866.70
	राजस्व	1695.84	1640.75	238.20	225.70	1934.04	1866.45
	पूँजीगत	4.16	0.25	0.00	0.00	4.16	0.25
13	डाक	300.00	306.71	6379.89	6124.84	6679.89	6431.55
	राजस्व	139.85	137.98	6377.89	6120.61	6517.74	6258.59
	पूँजीगत	160.15	168.73	2.00	4.23	162.15	172.96
14	दूरसंचार	2970.58	2943.87	7412.07	7994.86	10382.65	10939.73
	राजस्व	2329.43	2304.88	7212.07	7694.86	9541.50	9999.74
	पूँजीगत	641.15	638.99	200.00	300.00	841.15	938.99
15	सूचना प्रौद्योगिकी	2151.00	2735.63	116.30	112.56	2267.30	2848.19
	राजस्व	2077.10	2605.14	116.30	112.56	2193.40	2717.70
	पूँजीगत	73.90	130.49	0.00	0.00	73.90	130.49
16	उपभोक्ता मामले	140.00	131.93	75.88	69.48	215.88	201.41
	राजस्व	121.90	116.00	75.88	69.48	197.78	185.48
	पूँजीगत	18.10	15.93	0.00	0.00	18.10	15.93

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	150.00	140.57	123000.00	117981.14	123150.00	118121.71
	राजस्व	60.91	51.65	123000.00	117981.14	123060.91	118032.79
	पूँजीगत	89.09	88.92	0.00	0.00	89.09	88.92
18	कारपोरेट कार्य	23.00	17.93	228.92	208.27	251.92	226.20
	राजस्व	21.76	16.69	209.92	191.10	231.68	207.79
	पूँजीगत	1.24	1.24	19.00	17.17	20.24	18.41
19	संस्कृति	1500.00	1417.30	659.00	646.58	2159.00	2063.88
	राजस्व	1473.75	1393.24	659.00	646.58	2132.75	2039.82
	पूँजीगत	26.25	24.06	0.00	0.00	26.25	24.06
20	रक्षा	0.00	0.00	4892.23	5860.87	4892.23	5860.87
	राजस्व	0.00	0.00	3696.76	4672.99	3696.76	4672.99
	पूँजीगत	0.00	0.00	1195.47	1187.88	1195.47	1187.88
21	रक्षा पेंशन	0.00	0.00	50000.00	60449.75	50000.00	60449.75
	राजस्व	0.00	0.00	50000.00	60449.75	50000.00	60449.75
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	रक्षा सेवाएं - सेना	0.00	0.00	98310.79	96780.95	98310.79	96780.95
	राजस्व	0.00	0.00	98310.79	96780.95	98310.79	96780.95
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	रक्षा सेवाएं - नौसेना	0.00	0.00	13935.79	13678.87	13935.79	13678.87
	राजस्व	0.00	0.00	13935.79	13678.87	13935.79	13678.87
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	रक्षा सेवाएं - वायु सेना	0.00	0.00	20185.86	19741.06	20185.86	19741.06
	राजस्व	0.00	0.00	20185.86	19741.06	20185.86	19741.06
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
25	रक्षा - आयुद्ध निर्माणियां	0.00	0.00	1672.65	830.86	1672.65	830.86
	राजस्व	0.00	0.00	1672.65	830.86	1672.65	830.86
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	0.00	0.00	6299.67	5775.46	6299.67	5775.46
	राजस्व	0.00	0.00	6299.67	5775.46	6299.67	5775.46
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परीव्यय	0.00	0.00	81965.24	81886.98	81965.24	81886.98
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	81965.24	81886.98	81965.24	81886.98
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	470.50	371.08	25.45	24.37	495.95	395.45
	राजस्व	336.00	236.15	22.45	22.37	358.45	258.52
	पूँजीगत	134.50	134.93	3.00	2.00	137.50	136.93
29	पेयजल और स्वच्छता	158.00	32.72	7.31	7.08	165.31	39.80
	राजस्व	158.00	32.72	7.31	7.08	165.31	39.80
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	पृथ्वी विज्ञान-	925.00	900.28	408.65	393.59	1333.65	1293.87
	राजस्व	872.64	832.08	408.62	393.58	1281.26	1225.66
	पूँजीगत	52.36	68.20	0.03	0.01	52.39	68.21
31	पर्यावरण और वन	828.98	801.88	214.60	85.31	1043.58	887.18
	राजस्व	765.47	740.06	208.22	79.77	973.69	819.83
	पूँजीगत	63.51	61.82	6.38	5.54	69.89	67.36

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
32	विदेश मंत्रालय	3900.00	3379.67	8720.00	8759.81	12620.00	12139.48
	राजस्व	1488.40	1266.25	8530.00	8590.14	10018.40	9856.39
	पूँजीगत	2411.60	2113.42	190.00	169.67	2601.60	2283.09
33	आर्थिक कार्य	8343.76	8112.96	6050.81	6092.18	14394.57	14205.14
	राजस्व	7770.76	7747.96	5586.05	5515.19	13356.81	13263.15
	पूँजीगत	573.00	365.00	464.76	576.99	1037.76	941.99
34	वित्तीय सेवाएं	9650.00	9500.00	11963.51	7994.57	21613.51	17494.57
	राजस्व	350.00	250.00	11145.22	7428.31	11495.22	7678.31
	पूँजीगत	9300.00	9250.00	818.29	566.26	10118.29	9816.26
35	वित्त-ब्याज अदायगियां (विनियोग)	0.00	0.00	411354.22	402444.14	411354.22	402444.14
	राजस्व	0.00	0.00	411354.22	402444.14	411354.22	402444.14
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	वित्त-राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण	0.00	0.00	65000.00	62138.31	65000.00	62138.31
	राजस्व	0.00	0.00	65000.00	62138.31	65000.00	62138.31
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	वित्त-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज, आदि	0.00	0.00	-175.00	-126.76	-175.00	-126.76
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	-175	-126.76	-175.00	-126.00
38	वित्त-ऋण की पुनर्अदायगी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
39	व्यय	3.50	3.50	141.01	139.22	144.51	142.72
	राजस्व	3.50	3.50	141.01	139.22	144.51	142.72
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	पेंशन	0.00	0.00	24500.00	25297.68	24500.00	25297.68
	राजस्व	0.00	0.00	24500.00	25297.68	24500.00	25297.68
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	0.00	0.00	3093.42	3006.05	3093.42	3006.05
	राजस्व	0.00	0.00	3082.42	2999.85	3082.42	2999.85
	पूँजीगत	0.00	0.00	11.00	6.20	11.00	6.20
42	राजस्व	0.00	0.00	11445.60	11013.06	11445.60	11013.06
	राजस्व	0.00	0.00	11394.73	11012.85	11394.73	11012.85
	पूँजीगत	0.00	0.00	50.87	0.21	50.87	0.21
43	प्रत्यक्ष कर - साबाडीटी	0.00	0.00	4326.97	4131.43	4326.97	4131.43
	राजस्व	0.00	0.00	4178.97	4092.29	4178.97	4092.29
	पूँजीगत	0.00	0.00	148.00	39.14	148.00	39.14
44	अप्रत्यक्ष कर - सीबीईसी	0.00	0.00	4470.50	4291.19	4470.50	4291.19
	राजस्व	0.00	0.00	4320.50	4162.39	4320.50	4162.39
	पूँजीगत	0.00	0.00	150.00	128.80	150.00	128.80
45	विनिवेश	0.00	0.00	35.00	22.35	35.00	22.35
	राजस्व	0.00	0.00	35.00	22.35	35.00	22.35
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
46	खाद्य प्रसस्करण उद्योग	474.68	442.27	17.74	17.00	492.42	459.27
	राजस्व	474.68	442.27	17.74	17.00	492.42	459.27
	पूँजीगत	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
47	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	5609.18	4897.38	4642.00	5654.54	10251.18	10551.92
	राजस्व	4569.65	4025.02	4642.00	5654.54	9211.65	9679.56
	पूँजीगत	1039.53	872.36	0.00	0.00	1039.53	872.36
48	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	346.36	341.77	224.22	154.04	570.58	495.81
	राजस्व	335.54	330.95	224.22	154.04	559.76	484.99
	पूँजीगत	10.82	10.82	0.00	0.00	10.82	10.82
49	स्वास्थ्य अनुसंधान	610.00	590.65	322.00	320.13	932.00	910.78
	राजस्व	610.00	590.65	322.00	320.13	932.00	910.78
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	एड्स नियंत्रण	373.16	362.97	0.00	0.00	373.16	362.97
	राजस्व	373.16	362.97	0.00	0.00	373.16	362.97
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	भारी उद्योग	685.00	590.97	600.00	606.37	1285.00	1197.34
	राजस्व	610.00	517.32	42.23	40.60	652.23	557.82
	पूँजीगत	75.00	73.75	557.77	565.77	632.77	639.52
52	लोक उद्यम	5.00	4.82	9.00	8.90	14.00	13.72
	राजस्व	5.00	4.82	9.00	8.90	14.00	13.72
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
60	उच्चतर शिक्षा	12602.53	12574.75	10700.00	10577.73	23302.53	23152.48
	राजस्व	12602.53	12574.75	10700.00	10577.73	23302.53	23152.48
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	सूचना और प्रसारण	752.00	718.86	2424.80	2417.59	3176.80	3136.45
	राजस्व	719.94	689.06	2424.80	2417.59	3144.74	3106.65
	पूँजीगत	32.06	29.80	0.00	0.00	32.06	29.80
62	श्रम और रोजगार	544.75	376.64	2880.47	2861.06	3425.22	3237.70
	राजस्व	534.47	369.30	2879.60	2858.00	3414.07	3227.30
	पूँजीगत	10.28	7.34	0.87	3.06	11.15	10.40
63	निर्वाचन आयोग	0.00	0.00	70.00	69.18	70.00	69.18
	राजस्व	0.00	0.00	69.00	68.18	69.00	68.18
	पूँजीगत	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
64	विधि और न्याय	141.88	19.54	944.25	827.22	1086.13	846.76
	राजस्व	141.88	19.54	889.88	795.23	1031.76	814.77
	पूँजीगत	0.00	0.00	54.37	31.99	54.37	31.99
65	भारत का उच्चतम न्यायालय	0.00	0.00	150.00	149.92	150.00	149.92
	राजस्व	0.00	0.00	150.00	149.92	150.00	149.92
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2500.00	2384.57	385.02	382.03	2885.02	2766.60
	राजस्व	2492.00	2377.89	384.22	381.88	2876.22	2759.77
	पूँजीगत	8.00	6.68	0.80	0.15	8.80	6.83

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	(₹ करोड़)					
		योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
67	खान	330.00	324.07	547.05	543.61	877.05	867.68
	राजस्व	295.26	291.58	547.05	543.61	842.31	835.19
	पूँजीगत	34.74	32.49	0.00	0.00	34.74	32.49
68	अल्पसंख्यक मामले	2372.32	2301.37	25.00	19.56	2397.32	2320.93
	राजस्व	2342.32	2271.37	25.00	19.56	2367.32	2290.93
	पूँजीगत	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
69	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	541.00	501.70	13.89	13.48	554.89	515.18
	राजस्व	446.00	406.70	13.89	13.48	459.89	420.18
	पूँजीगत	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00
70	प्रवासी भारतीय कार्य	5.00	0.00	94.00	64.09	99.00	64.09
	राजस्व	5.00	0.00	74.00	44.09	79.00	44.09
	पूँजीगत	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00
71	पंचायती राज	80.00	70.60	0.69	0.42	80.69	71.02
	राजस्व	80.00	70.60	0.69	0.42	80.69	71.02
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	संसदीय कार्य	0.00	0.00	14.17	13.79	14.17	13.79
	राजस्व	0.00	0.00	14.17	13.79	14.17	13.79
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	227.00	227.39	832.03	791.77	1059.03	1019.16
	राजस्व	141.36	141.43	828.09	787.89	969.45	929.32
	पूँजीगत	85.64	85.96	3.94	3.88	89.58	89.84

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
74	केंद्रीय सतर्कता आयोग	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	20.84
	राजस्व	10.00	0.00	0.00	20.84	0.00	20.84
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2402.00	0.00	60341.22	60310.18	62743.22	60310.18
	राजस्व	2.00	0.00	60341.22	60310.18	60343.22	60310.18
	पूँजीगत	2400.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00
76	योजना	1780.73	1722.69	90.31	82.89	1871.04	1805.58
	राजस्व	1259.33	1205.68	90.31	82.89	1349.64	1288.57
	पूँजीगत	521.40	517.01	0.00	0.00	521.40	517.01
77	विद्युत	5700.00	13313.67	-102.00	-108.82	5598.00	13204.85
	राजस्व	4317.31	4207.49	-102.00	-108.82	4215.31	4098.67
	पूँजीगत	1382.69	9106.18	0.00	0.00	1382.69	9106.18
78	राष्ट्रपति का सचिवालय	0.00	0.00	42.00	41.65	42.00	41.65
	राजस्व	0.00	0.00	42.00	41.65	42.00	41.65
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	लोकसभा	0.00	0.00	534.20	466.07	534.20	466.07
	राजस्व	0.00	0.00	534.20	466.07	534.20	466.07
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	राज्यसभा	0.00	0.00	320.23	288.07	320.23	288.07
	राजस्व	0.00	0.00	320.23	288.07	320.23	288.07
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
81	संघ लोक सेवा आयोग	0.00	0.00	188.81	188.68	188.81	188.68
	राजस्व	0.00	0.00	188.81	188.68	188.18	188.68
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	सचिवालय - उपराष्ट्रपति	0.00	0.00	3.67	3.67	3.67	3.67
	राजस्व	0.00	0.00	3.67	3.67	3.67	3.67
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	सड़क परिवहन और राजमार्ग	25114.40	25335.76	5555.00	5617.95	30669.40	30953.71
	राजस्व	10082.03	10597.31	3817.54	3784.01	13899.57	14381.32
	पूँजीगत	15032.37	14738.45	1737.46	1833.94	16769.83	16572.39
84	ग्रामीण विकास	6185.28	5405.00	47.73	47.30	6233.01	5452.30
	राजस्व	6185.28	5405.00	47.73	47.30	6233.01	5452.30
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	भू-संसाधन	7.43	6.82	8.95	8.37	16.38	15.19
	राजस्व	7.43	6.82	8.95	8.37	16.38	15.19
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2500.00	2496.69	398.00	393.15	2898.00	2889.84
	राजस्व	2494.22	2491.14	396.97	392.45	2891.19	2883.59
	पूँजीगत	5.78	5.55	1.03	0.70	6.81	6.25
87	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	1600.00	1594.16	1800.00	1799.37	3400.00	3393.53
	राजस्व	1584.43	1579.33	1800.00	1799.37	3384.43	3378.70
	पूँजीगत	15.57	14.83	0.00	0.00	15.57	14.83

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
88	जैव प्रौद्योगिकी	1395.00	1327.38	22.21	19.59	1417.21	1346.97
	राजस्व	1395.00	1327.38	22.21	19.59	1417.21	1346.97
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	पोत परिवहन	450.00	442.83	609.00	586.79	1059.00	1029.62
	राजस्व	130.06	125.64	670.80	653.14	800.86	778.78
	पूँजीगत	319.94	317.19	-61.80	-66.35	258.14	250.84
90	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1844.30	1759.38	52.05	49.94	1896.35	1809.32
	राजस्व	1182.30	1097.38	52.05	49.94	1234.35	1147.32
	पूँजीगत	662.00	662.00	0.00	0.00	662.00	662.00
91	निःशक्तता मामले	374.98	337.84	66.06	65.45	441.04	403.29
	राजस्व	337.98	301.26	66.06	65.45	404.04	366.71
	पूँजीगत	37.00	36.58	0.00	0.00	37.00	36.58
92	अंतरिक्ष	4500.00	4473.81	1326.00	1325.00	5826.00	5798.81
	राजस्व	2059.49	2025.95	1326.00	1325.00	3385.49	3350.95
	पूँजीगत	2440.51	2447.86	0.00	0.00	2440.51	2447.86
93	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	309.32	266.15	430.08	451.98	739.40	718.13
	राजस्व	304.10	262.42	430.08	451.98	734.18	714.40
	पूँजीगत	5.22	3.73	0.00	0.00	5.22	3.73
94	इस्पात	7.00	-5.12	65.92	64.92	72.92	58.97
	राजस्व	7.00	-5.12	65.92	64.09	72.92	58.97
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
95	वस्त्र	3068.53	2883.32	683.54	666.87	3752.07	3550.19
	राजस्व	3058.53	2876.31	612.95	596.58	3671.48	3472.89
	पूँजीगत	10.00	7.01	70.59	70.29	80.59	77.30
96	पर्यटन	604.00	524.30	82.99	76.65	686.99	600.95
	राजस्व	591.70	522.60	82.99	76.65	674.69	599.25
	पूँजीगत	12.30	1.70	0.00	0.00	12.30	1.70
97	जनजातीय कार्य	609.44	600.15	21.88	20.48	631.32	620.63
	राजस्व	539.44	530.15	21.88	20.48	561.32	550.63
	पूँजीगत	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00
103	शहरी विकास	7460.89	7038.34	1013.00	1077.15	8473.89	8115.49
	राजस्व	791.61	481.90	742.24	799.57	1533.85	1281.47
	पूँजीगत	6669.28	6556.44	270.76	277.58	6940.04	6834.02
104	शहरी विकास-लोक निर्माण कार्य	290.00	207.77	1815.00	1897.24	2105.00	2105.01
	राजस्व	18.10	17.91	1480.34	1529.52	1498.44	1547.43
	पूँजीगत	271.90	189.86	334.66	367.72	606.56	557.58
105	शहरी विकास	0.00	0.00	48.43	94.81	48.43	94.81
	राजस्व	0.00	0.00	48.28	94.79	48.28	94.79
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.15	0.02	0.15	0.02
106	जल संसाधन	2119.44	1646.80	609.32	572.21	2728.76	2219.01
	राजस्व	2010.53	1550.38	615.44	583.12	2625.97	2133.50
	पूँजीगत	108.91	96.42	-6.12	-10.91	102.79	85.51

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
107	महिला एवं बाल विकास	503.23	447.93	88.39	103.29	591.62	551.22
	राजस्व	503.23	447.93	88.39	103.29	591.62	551.22
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	युवा मामले और खेल	862.11	856.11	148.61	126.92	1010.72	983.03
	राजस्व	862.11	856.11	148.61	126.92	1010.72	983.03
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	रेलवे	30100.00	30121.16	0.00	0.00	30100.00	30121.16
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूँजीगत (शीर्ष 5002 और 5003)	30100.00	30121.16	0.00	0.00	30100.00	30121.16

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
11	वाणिज्य	564.84	564.84	0.00	0.00	564.84	564.85
	राजस्व	564.84	564.84	0.00	0.00	564.84	564.85
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	सूचना प्रौद्योगिकी	444.00	644.97	0.00	0.00	444.00	644.97
	राजस्व	444.00	644.97	0.00	0.00	444.00	644.97
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	पेयजल एवं सवच्छता	11938.50	12049.03	0.00	0.00	11938.50	12049.03
	राजस्व	11938.50	12049.03	0.00	0.00	11938.50	12049.03
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	पर्यावरण एवं वन	720.64	711.67	0.00	0.00	720.64	711.67
	राजस्व	720.64	711.67	0.00	0.00	720.64	711.67
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	वित्त - राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	68021.00	65968.84	0.00	0.00	68021.00	65968.84
	राजस्व	56121.00	54071.52	0.00	0.00	56121.00	54071.52
	पूँजीगत	11900.00	11897.32	0.00	0.00	11900.00	11897.32
46	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	124.61	124.61	0.00	0.00	124.61	124.61
	राजस्व	124.61	124.61	0.00	0.00	124.61	124.61
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	18589.06	18596.80	0.00	0.00	18589.06	18596.80
	राजस्व	18589.06	18596.80	0.00	0.00	18589.06	18596.80
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
68	अल्पसंख्यक मामले	766.46	766.44	0.00	0.00	766.46	766.44
	राजस्व	766.46	766.44	0.00	0.00	766.46	766.44
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	पंचायती राज	3320.00	3319.53	0.00	0.00	3320.00	3319.53
	राजस्व	3320.00	3319.53	0.00	0.00	3320.00	3319.53
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	2607.06	2064.75	0.00	0.00	2607.06	2064.75
	राजस्व	2607.06	2064.75	0.00	0.00	2607.06	2064.75
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	ग्रामीण विकास	61907.71	61800.89	0.00	0.00	61907.71	61800.89
	राजस्व	61907.71	61800.89	0.00	0.00	61907.71	61800.89
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	भू - संसाधन	2491.25	2491.22	0.00	0.00	2491.25	2491.22
	राजस्व	2491.25	2491.22	0.00	0.00	2491.25	2491.22
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3534.90	3551.22	0.00	0.00	3534.90	3551.22
	राजस्व	3534.90	3551.22	0.00	0.00	3534.90	3551.22
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	निःशक्तता मामले	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
	राजस्व	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
93	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	3950.00	3350.00	0.00	0.00	3950.00	3350.00
	राजस्व	3950.00	3350.00	0.00	0.00	3950.00	3350.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	वस्त्र	431.47	405.50	0.00	0.00	431.47	405.50
	राजस्व	431.47	405.50	0.00	0.00	431.47	405.50
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	पर्यटन	495.00	342.36	0.00	0.00	495.00	342.36
	राजस्व	495.00	342.36	0.00	0.00	495.00	342.36
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	जनजातीय मार्य	3240.56	3231.80	0.00	0.00	3240.56	3231.80
	राजस्व	3240.56	3231.80	0.00	0.00	3240.56	3231.80
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	शहरी विकास	2431.10	2921.41	0.00	0.00	2431.10	2921.41
	राजस्व	2431.10	2921.41	0.00	0.00	2431.10	2921.41
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	जल संसाधन	3280.56	3261.04	0.00	0.00	3280.56	3261.04
	राजस्व	3280.56	3261.04	0.00	0.00	3280.56	3261.04
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	महिला एवं बाल विकास	17763.83	17768.22	0.00	0.00	17763.83	17768.22
	राजस्व	17763.83	17768.22	0.00	0.00	17763.83	17768.22
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
108	युवा मामले एवं खेल	136.74	137.63	0.00	0.00	136.74	137.63
	राजस्व	136.74	137.63	0.00	0.00	136.74	137.63
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	1329.50	1323.99	0.00	0.00	1329.50	1323.99
	राजस्व	1299.50	1294.48	0.00	0.00	1299.50	1294.48
	पूँजीगत	30.00	29.51	0.00	0.00	30.00	29.51
	उत्तर पूर्व क्षेत्र	595.00	589.49	0.00	0.00	595.00	589.49
	राजस्व	565.00	559.98	0.00	0.00	565.00	559.98
	पूँजीगत	30.00	29.51	0.00	0.00	30.00	29.51
	पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	704.50	704.50	0.00	0.00	704.50	704.50
	राजस्व	704.50	704.50	0.00	0.00	704.50	704.50
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बोडो लैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	राजस्व	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	संघ राज्य क्षेत्र	6444.15	6116.13	4636.74	4926.96	11080.89	11043.09
	राजस्व	5043.68	4750.38	4625.27	4833.42	9668.95	9583.80
	पूँजीगत	1400.47	1365.75	11.47	93.54	1411.94	1459.29
क.	विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	2429.62	2269.30	0.00	0.00	2494.62	2269.30
	राजस्व	2494.62	2269.30	0.00	0.00	2494.62	2269.30
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
57	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	347.20	339.59	0.00	0.00	347.20	339.59
	राजस्व	347.20	339.59	0.00	0.00	347.20	339.59
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	पुदुचेरी	792.23	803.44	0.00	0.00	792.23	803.44
	राजस्व	792.23	803.44	0.00	0.00	792.23	803.44
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	संघ राज्य क्षेत्र स्कीमें (अन्य)	1355.19	1126.27	0.00	0.00	1355.19	1125.95
	राजस्व	1355.19	1126.27	0.00	0.00	1355.19	1125.95
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख.	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	3949.53	3846.83	4636.74	4926.96	8586.27	8773.79
	राजस्व	2549.06	2481.08	4625.27	4833.42	7174.33	7314.50
	पूँजीगत	1400.47	1365.75	11.47	93.54	1411.94	1459.29
98	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1733.00	1716.10	1506.05	1594.54	3239.05	3310.64
	राजस्व	1314.65	1314.04	1480.16	1588.98	2794.81	2903.02
	पूँजीगत	418.35	402.06	25.89	5.56	444.24	407.62
99	चंडीगढ़	615.16	610.72	2370.49	2452.23	2985.65	3062.95
	राजस्व	379.66	375.22	2385.83	2367.68	2765.49	2742.90
	पूँजीगत	235.50	235.50	-15.34	84.55	220.16	320.05
100	दादरा और नगर हवेली	651.74	647.19	122.73	123.62	774.47	770.81
	राजस्व	389.61	385.09	119.93	120.82	509.54	505.91
	पूँजीगत	262.13	262.10	2.80	2.80	264.93	264.90

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
101	दमन और दीव	554.17	538.56	133.12	136.74	687.29	675.30
	राजस्व	247.77	242.75	132.45	136.07	380.22	378.82
	पूँजीगत	306.40	295.81	0.67	0.67	307.07	296.48
102	लक्षद्वीप	395.46	334.26	504.35	619.83	899.81	954.09
	राजस्व	217.37	163.98	506.90	619.87	724.27	783.85
	पूँजीगत	178.09	170.28	-2.55	-0.04	175.54	170.24
	IV-राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल केन्द्रीय सहायता (II + III)	278167.83	273549.79	4636.74	4926.96	282804.57	278476.75
	राजस्व	264837.36	260257.21	4625.27	4833.42	269462.63	265090.63
	पूँजीगत	13330.47	13292.58	11.47	93.54	13341.94	13386.12
	कुल योग	467933.63	462643.58	1213224.37	1201029.45	1681158.00	1663673.03
	राजस्व	366882.86	357596.81	1121897.09	1109394.87	1488779.95	1466991.68
	पूँजीगत	101050.77	105046.77	91327.28	91634.58	192378.05	196681.35

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा

वर्ष	(₹ करोड़)
31.3.2015 तक परिपक्व होने वाले	141462.91
2016 में परिपक्वता	154329.85
2017 में परिपक्वता	303886.80
2018 में परिपक्वता	185234.68
2019 में परिपक्वता	171000.00
2020 में परिपक्वता	366000.00
2021 में परिपक्वता	226213.32
2022 में परिपक्वता	357097.02
2023 में परिपक्वता	185582.59
2024 में परिपक्वता	178000.00
2025 में परिपक्वता	90000.00
2026 में परिपक्वता	170489.20
2027 में परिपक्वता	256068.12
2028 में परिपक्वता	110000.00
2030 में परिपक्वता	151884.55
2032 में परिपक्वता	240643.64
2033 में परिपक्वता	25000.00
2034 में परिपक्वता	60000.00
2035 में परिपक्वता	52350.00
2036 में परिपक्वता	86000.00
2039 में परिपक्वता	13000.00
2040 में परिपक्वता	90000.00
2041 में परिपक्वता	90000.00
2042 में परिपक्वता	90000.00
2043 में परिपक्वता	76472.28
2044 में परिपक्वता	21000.00
कुल	3891714.96

परिशिष्ट-10

वर्ष 2014-15 के लिए ५ 100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	कृषि और सहकारिता विभाग स्वीकृत	22603.11	0.00	19488.31	0.00	3114.80	0.00
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	6144.44	0.00	4840.03	0.00	1304.41	0.00
3	पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग स्वीकृत	2726.16	0.00	2208.59	0.00	517.57	0.00
4	परमाणु ऊर्जा स्वीकृत	0.00	4408.46	0.00	3384.26	0.00	1024.20
5	नाभिकीय विद्युत स्कीमें स्वीकृत	4223.49	674.00	3724.25	391.50	499.24	282.50
7	उर्वरक विभाग स्वीकृत	77112.31	0.00	75091.86	0.00	2020.45	0.00
8	औषध निर्माण विभाग स्वीकृत	217.83	0.00	87.71	0.00	130.12	0.00
9	नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	0.00	6545.10	0.00	5814.95	0.00	730.15
10	कोयला मंत्रालय स्वीकृत	0.00	1647.00	0.00	1048.83	0.00	598.17
11	वाणिज्य विभाग स्वीकृत	5552.02	0.00	5135.38	0.00	416.64	0.00

वर्ष 2014-15 के लिए \leq 100 करोड़ तथा इससे अधिक

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग स्वीकृत	0.00	105.75	0.00	0.25	0.00	105.50
14	दूरसंचार विभाग स्वीकृत	14267.08	3798.01	11922.15	938.99	2344.93	2859.02
15	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	3734.12	0.00	3452.61	0.00	281.51	0.00
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्वीकृत	123992.20	10678.26	118963.68	10485.37	5028.52	192.89
19	संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	2443.06	0.00	2045.13	0.00	397.93	0.00
20	रक्षा मंत्रालय स्वीकृत	18270.67	1620.72	18166.93	1181.15	103.74	439.57
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वीकृत	2151.80	353.50	1553.00	208.01	598.80	145.49
29	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वीकृत	15377.50	0.00	12201.46	0.00	3176.04	0.00
30	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत	1515.07	187.06	1233.14	68.21	281.93	118.85
31	पर्यावरण और वन मंत्रालय स्वीकृत	2488.41	0.00	1794.81	0.00	693.60	0.00

वर्ष 2014-15 के लिए ५ 100 करोड़ तथा इससे अधिक

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
32	विदेश मंत्रालय स्वीकृत	11264.37	3466.01	9861.83	2286.99	1402.54	1179.02
33	आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत	16157.52	12515.86	15271.98	9894.36	885.54	2621.50
34	वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत	11745.25	24795.03	7910.33	11069.56	3834.92	13725.47
35	विनियोग-ब्याज अदायगियां प्रभारित	449882.66	0.00	425098.26	0.00	24784.40	0.00
36	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण प्रभारित स्वीकृत	64675.00 70757.00	13000.00 0.00	61813.32 61318.27	11897.32 0.00	2861.68 9438.73	1102.68 0.00
38	विनियोग-ऋण की पुनर्अदायगी प्रभारित	0.00	4064025.03	0.00	3707699.65	0.00	356325.38
40	पेंशन स्वीकृत	25370.00	0.00	25170.63	0.00	199.37	0.00
41	भारतीय लेखा परिक्षा और लेखा विभाग स्वीकृत	3221.05	0.00	3112.80	0.00	108.25	0.00
42	राजस्व कर स्वीकृत	11759.91	106.01	11332.52	0.21	427.39	105.80
43	प्रत्यक्ष कर स्वीकृत	4342.89	752.01	4093.25	69.87	249.64	682.14

वर्ष 2014-15 के लिए \leq 100 करोड़ तथा इससे अधिक
की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
44	अप्रत्यक्ष कर स्वीकृत	4884.02	271.32	4164.24	128.80	719.78	142.52
46	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत	785.89	0.00	596.74	0.00	189.15	0.00
47	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वीकृत	36481.41	1964.52	29976.13	872.36	6505.28	1092.16
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग स्वीकृत	1252.09	0.00	674.37	0.00	577.72	0.00
49	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वीकृत	1017.70	0.00	910.78	0.00	106.92	0.00
50	एड्स नियंत्रण विभाग स्वीकृत	1702.00	0.00	1287.39	0.00	414.61	0.00
51	भारी उद्योग विभाग स्वीकृत	1139.56	0.00	968.12	0.00	171.44	0.00
53	गृह मंत्रालय स्वीकृत	1534.45	0.00	1108.57	0.00	425.88	0.00
55	पुलिस स्वीकृत	51031.41	9863.51	50611.76	5939.02	419.65	3924.49
56	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय स्वीकृत	2230.27	259.54	1672.36	38.49	557.91	221.05
58	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय स्वीकृत	6008.68	0.00	2735.40	0.00	3273.28	0.00

वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 100 करोड़ तथा इससे अधिक
की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
59	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत	82695.14	0.00	68079.89	0.00	14615.25	0.00
60	उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत	27656.08	0.00	23169.18	0.00	4486.90	0.00
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वीकृत	3287.18	0.00	3128.73	0.00	158.45	0.00
62	श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत	5783.82	0.00	4309.55	0.00	1474.27	0.00
64	विधि और न्याय स्वीकृत	1992.88	0.00	1750.92	0.00	241.96	0.00
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्वीकृत	3693.51	0.00	2761.00	0.00	932.51	0.00
67	खान मंत्रालय स्वीकृत	1011.01	0.00	835.58	0.00	175.43	0.00
68	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत	3614.06	0.00	3060.51	0.00	553.55	0.00
69	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत	2762.39	295.00	2223.10	295.00	539.29	0.00
71	पंचायती राज मंत्रालय स्वीकृत	7000.70	0.00	3390.56	0.00	3610.14	0.00

वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 100 करोड़ तथा इससे अधिक
की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
75	पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय स्वीकृत	63542.02	2400.00	60310.18	0.00	3231.84	2400.00
76	योजना मंत्रालय स्वीकृत	1828.38	786.49	1291.32	517.01	537.06	269.48
77	विद्युत मंत्रालय स्वीकृत	8228.16	2986.51	4637.51	9179.92	3590.65	0.00
83	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत	20103.39	37436.27	18672.70	35770.82	1430.69	1665.45
84	ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत	121746.83	0.00	108630.20	0.00	13116.63	0.00
85	भू-संसाधन विभाग स्वीकृत	3759.13	0.00	2506.41	0.00	1252.72	0.00
86	विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग स्वीकृत	3546.03	0.00	2899.92	0.00	646.11	0.00
87	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग स्वीकृत	3671.17	0.00	3378.70	0.00	292.47	0.00
88	जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	1517.24	0.00	1346.97	0.00	170.27	0.00
89	पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत	1258.70	516.09	1005.33	334.89	253.37	181.20

वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 100 करोड़ तथा इससे अधिक
की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत
90	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वीकृत	5750.77	662.00	4737.47	662.00	1013.30	0.00
91	निःशक्तता मामले विभाग स्वीकृत	595.91	0.00	366.83	0.00	229.08	0.00
92	अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत	3583.58	3656.58	3370.19	2450.86	213.39	1205.72
93	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत	4905.79	0.00	4065.05	0.00	840.74	0.00
95	वस्त्र मंत्रालय स्वीकृत	5547.74	0.00	3890.06	0.00	1657.60	0.00
96	पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत	1965.22	0.00	985.33	0.00	979.89	0.00
97	जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रभारित स्वीकृत	3913.63 517.40	0.00 0.00	3437.59 345.09	0.00 0.00	476.04 172.31	0.005 0.00
98	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह स्वीकृत	3132.76	566.65	2957.44	448.61	175.32	118.04
99	चंडीगढ़ स्वीकृत	3044.70	0.00	2934.86	0.00	109.84	0.00
101	दमन और दीव स्वीकृत	1291.03	0.00	1171.33	0.00	119.70	0.00

वर्ष 2014-15 के लिए \leq 100 करोड़ तथा इससे अधिक
की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
103	शहरी विकास विभाग स्वीकृत	8713.64	8826.22	4160.13	6688.74	4553.51	2137.48
104	लोक निर्माण कार्य स्वीकृत	0.00	832.33	0.00	557.53	0.00	274.80
106	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय स्वीकृत	15143.17	228.63	5414.79	96.43	9728.38	132.20
107	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत	21193.91	0.00	18541.14	0.00	2652.77	0.00
108	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय स्वीकृत	1768.14	0.00	1144.14	0.00	624.00	0.00